NEWS LETTER

ACTIVITIES REPORT JULY 2021

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
JABALPUR (M.P.)

Mediation

Launch of ODR Platform- A Ray of Hope for Online Resolution of Disputes

10th July 2021 was a red letter day for the M.P. State Legal Services Authority as it was marked with the e-inauguration of Online Dispute Resolution Platform as a pilot project in three districts viz. Gwalior, Jabalpur and Bhopal by Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice & Patron-in-Chief, MPSLSA in presence of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, MPSLSA. With this inauguration, Madhya Pradesh became the first State in India to use Online Dispute Resolution Platform as a medium to settle disputes through Mediation.

With the launch of this platform, the people will be able to resolve their disputes from within the security of their homes. For this purpose, M.P. State Legal Services Authority has identified and trained community mediators who are working as volunteers in the system while SAMA, an Online Dispute Resolution Platform recognized by the Ministry of Law & Justice Government of India shall

render technical support. The process involves reception of a call by the Urja Mahila Helpdesks, referral to online mediation and a lasting solution which would be mutually acceptable to both the parties. If the parties do not resolve their differences they have nothing to lose, not even their money, time, resource or self esteem as the process is completely confidential.

With this initiative, we foresee a quantum difference in increasing accessibility to justice for people across barriers of physical distances. Bhopal, Jabalpur and Gwalior are the districts identified at the first instance and as we move on with the support of the duty holders and the acceptance by the general public, we can spread this project in all districts of the State.

On this occasion, Shri Vivek Johri, Director General of Police, Ms. Pragya Richa Shrivastava, Addl. Director General (Crime Against Women), Shri Swaraj Puri, Ex. DGP State of M.P., Shri Rajendra Kumar Vani, Registrar General MP High Court, Member Secretary MPSLSA Smt. Giribala Singh, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary were also present.

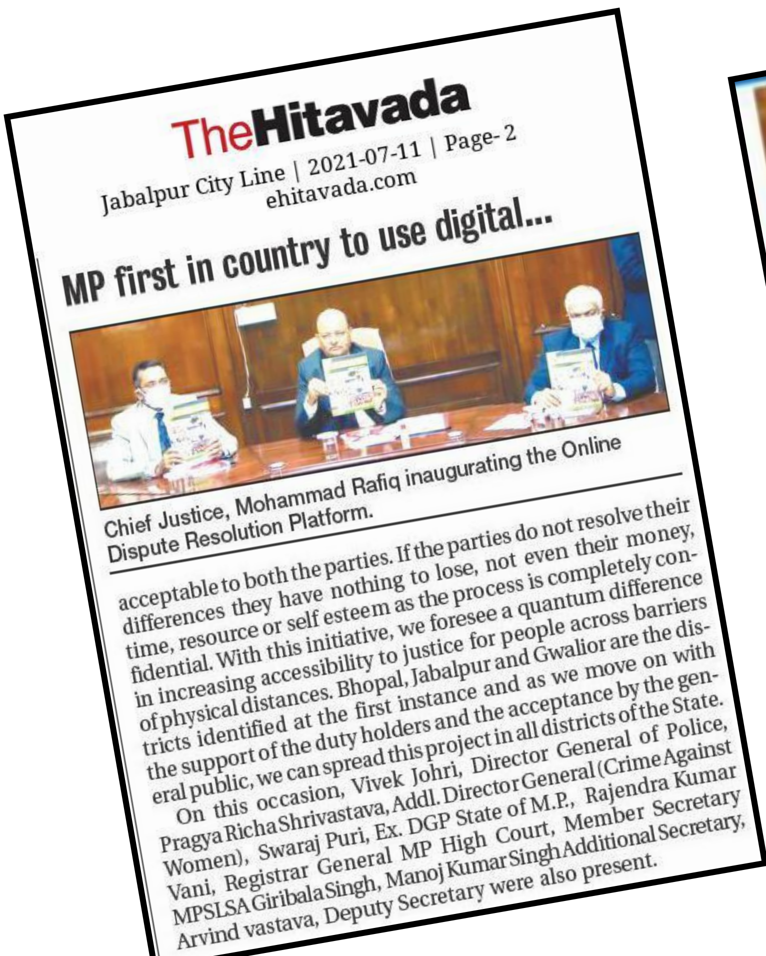

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-07-11 | Page- 2
ehitavada.com

MP first in country to use digital...

Chief Justice, Mohammad Rafiq inaugurating the Online Dispute Resolution Platform.

acceptable to both the parties. If the parties do not resolve their differences they have nothing to lose, not even their money, time, resource or self esteem as the process is completely confidential. With this initiative, we foresee a quantum difference in increasing accessibility to justice for people across barriers of physical distances. Bhopal, Jabalpur and Gwalior are the districts identified at the first instance and as we move on with the support of the duty holders and the acceptance by the general public, we can spread this project in all districts of the State.

On this occasion, Vivek Johri, Director General of Police, Pragya Richa Shrivastava, Addl. Director General (Crime Against Women), Swaraj Puri, Ex. DGP State of M.P., Rajendra Kumar Vani, Registrar General MP High Court, Member Secretary MPSLSA Giribala Singh, Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Arvind vastava, Deputy Secretary were also present.

वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

लोक अदालत और विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का ई-शुभारंभ- प्रदेश में नेशनल लोक अदालत और ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का ई-शुभारंभ मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के मुख्य संरक्षक एवं चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने किया। चीफ जस्टिस ने सालसा के न्यूज लेटर का भी विमोचन किया। इस मौके पर सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष व हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। इस दौरान सालसा की सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह ने लोक अदालत में निराकृत किए गए मामलों की जानकारी दी।

ONLINE PRE-LITIGATION MEDIATION STARTED IN MATTERS REFERRED THROUGH POLICE URJA MAHILA HELP DESK

Online Pre-litigation Mediation has been started in Indore, Bhopal and Gwalior in the matters referred from Police Urja Mahila Help Desk under the project initiated by MPSLSA with coordination of SAMA Digital Platform. This Pilot Project earlier E-inaugurated by Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice & Patron-in-Chief, MPSLSA in presence of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, MPSLSA.

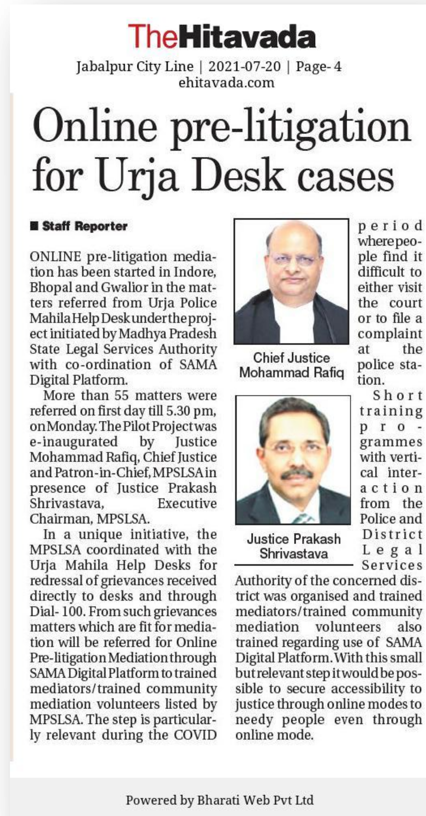

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-07-20 | Page- 4
ehitavada.com

Online pre-litigation for Urja Desk cases

■ Staff Reporter

ONLINE pre-litigation mediation has been started in Indore, Bhopal and Gwalior in the matters referred from Urja Police Mahila Help Desk under the project initiated by Madhya Pradesh State Legal Services Authority with co-ordination of SAMA Digital Platform.

More than 55 matters were referred on first day till 5.30 pm, on Monday. The Pilot Project was e-inaugurated by Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice and Patron-in-Chief, MPSLSA in presence of Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, MPSLSA.

In a unique initiative, the MPSLSA coordinated with the Urja Mahila Help Desks for redressal of grievances received directly to desks and through Dial- 100. From such grievances matters which are fit for mediation will be referred for Online Pre-litigation Mediation through SAMA Digital Platform to trained mediators/trained community mediation volunteers listed by MPSLSA. The step is particularly relevant during the COVID period where people find it difficult to either visit the court or to file a complaint at the police station.

Short training programmes with vertical interaction from the Police and District Legal Services Authority of the concerned district was organised and trained mediators/trained community mediation volunteers also trained regarding use of SAMA Digital Platform. With this small but relevant step it would be possible to secure accessibility to justice through online modes to needy people even through online mode.

Chief Justice Mohammad Rafiq

Justice Prakash Shrivastava

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

In a unique initiative, the M.P. State Legal Services Authority coordinated with the Urja Mahila Help Desks for redressal of grievances received directly to desks and through Dial- 100. From such grievances matters which are fit for mediation will be referred for Online Pre-litigation Mediation through SAMA Digital Platform to trained mediators/trained community mediation volunteers listed by MPSLSA.

This step is particularly relevant in the Covid era where people find it difficult to either visit the court or to file a complaint at the police station.

Short training programmes with vertical interaction from the Police and District Legal Services Authority of the concerned district was organised and trained mediators/trained community mediation volunteers also trained regarding use of SAMA Digital Platform.

With this small but relevant step it would be possible to secure accessibility to justice through online modes to needy people even through online mode.

THE PASI COMMUNITY WILL SETTLE THEIR CASE THROUGH OWN COMMUNITY MEDITATION CENTER

Pasi community mediation center at Ghamapur Acharya Vinoba Bhave Ward Jabalpur was inaugurated by Smt. Giribala Singh Member Secretary, MP State Legal Services Authority. On this occasion, Giribala Singh apprised that mediation is a process through which disputes can be settled by mutual communication.

Member Secretary Inaugurating the mediation center of Pasi community

On this occasion, District Judge Shri Dharminder Singh Rathod and Secretary Manish Singh Thakur also expressed their views in the said program, Deputy Secretary Shri Arvind Shrivastava, Legal Aid Officer Muhammad Jilani, Pasi Samaj's trained mediator Mahindra Pasi, President Pasi Trust, Omprakash Gujar, Bharti Pasi. , Kamlesh Babaria, and other Pasi Samaj members were present in said occasion.

Chairman DLSA Raisen inaugurated the mediation center of Yadav community

Similarly , Chairman Dlsa Raisen inauguarated the mediation centre of Yadav Community at Raisen.

Glimpses of Mediation Awareness Programme

DLSA DAMOH

DLSA JABALPUR

DLSA HOSHANGABAD

DLSA NARSINGHPUR

DLSA NEEMUCH

DLSA MANDLESHWAR

DLSA BURHANPUR

DLSA SHEOPUR

DLSA JHABUA

DLSA TIKAMGARH

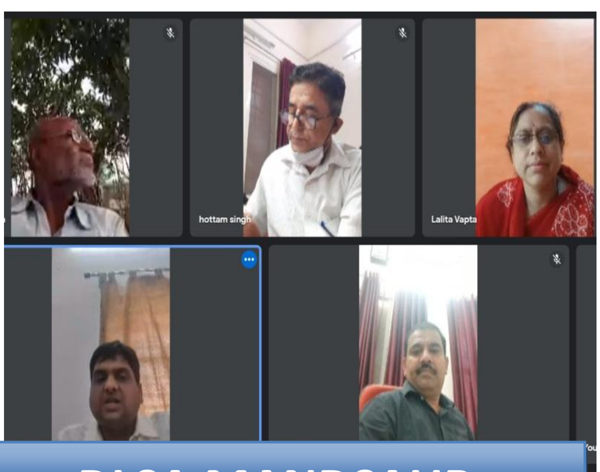

DLSA MANDSAUR

DLSA CHHATARPUR

मीडिएशन तथा प्री–लिटिगेशन मीडिएशन संबंधित सफलता की कहानियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर

(1)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर में आवेदक श्री गोपाल राठौर पिता श्री रघुनाथजी राठौर, उम्र–65 वर्ष, निवासी इंदौर द्वारा दिनांक 15.07.2021 को इंदौर न्यायालय में सिविल वाद दर्ज करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा यह जानकारी दी कि आवेदक के माता–पिता का स्वर्गवास हो चुका है एवं उनके दो भाई श्री लीलाधर राठौर एवं श्री मुकेश राठौर पैतृक जेवरों का बंटवारा नहीं कर रहे और बातचीत हेतु भी सहमत नहीं हैं, जिस कारण पैतृक जेवरों का बंटवारा करवाकर रकम दिलाने का अनुरोध किया।

उक्त आवेदन पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर द्वारा विचार करते हुए मामले में सुलह–समझौते की संभावना का आंकलन किया गया व प्रकरण को प्रीलिटिगेशन मीडिएशन प्रक्रिया हेतु उचित मानते हुए पंजीबद्ध कर अनावेदकों को सुनवाई का नोटिस जारी किए जाने हेतु आदेशित किया गया।

दिनांक 27.07.2021 को उभयपक्षों के मध्य मीडिएशन सत्र का आयोजन किया गया जिसके फलस्वरूप उभयपक्षों में आपसी सहमति से पैतृक जेवरों का बंटवारा करना मंजूर किया गया एवं आवेदक भी उक्त बंटवारे से पूर्णतः संतुष्ट हुआ। इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण न्यायालय में जाने से पूर्व ही प्रीलिटिगेशन मीडिएशन प्रक्रिया के तहत की गई मध्यस्थता के फलस्वरूप आपसी सुलह–समझौते के माध्यम से विवाद का निराकरण हो गया। इस प्रकार मध्यस्थता के फलस्वरूप तीनों भाईयो के बीच संबंध भी मधुर बने रहे।

(2)

आवेदक गेंदालाल द्वारा किरायेदार सुबोध पाण्डे के विरूद्ध दिनांक 07.06.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे आवेदक द्वारा प्रकट किया गया कि अनावेदक द्वारा उसके मकान को 6000/– रूपये मासिक किराये पर लिया गया था, किंतु अनावेदक द्वारा माह मार्च 2020 से माह मई 2021 तक का किराया भुगतान नहीं किया है, इसके अतिरिक्त उसके द्वारा बिजली का बिल भी प्रदाय नहीं किया जा रहा है।

उक्त प्रकरण पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर द्वारा विचार करते हुए मामले में सुलह–समझौते की संभावना का आंकलन किया गया व प्रकरण को प्रीलिटिगेशन मीडिएशन प्रक्रिया हेतु उचित मानते हुए पंजीबद्ध कर अनावेदकों को सुनवाई का नोटिस जारी किए जाने हेतु आदेशित किया गया।

दिनांक 15.06.2021 को उभयपक्षों के मध्य मीडिएशन सत्र का आयोजन किया गया जिसमें अनावेदक द्वारा जानकारी दी कि लॉकडाउन के कारण काम धंधा ठप्प हो जाने एवं आमदनी का कोई जरिया नहीं रह जाने के कारण उसके द्वारा मकान का किराया नहीं दिया गया है। अनावेदक द्वारा व्यवस्था करके बकाया किराये एवं बिजली बिल की राशि किस्तों में भुगतान करने एवं माह अगस्त 2021 से प्रतिमाह 10,000/– रूपये किराये देने हेतु सहमति व्यक्त की। उक्त तथ्य पर आवेदन भी संतुष्ट हुआ। इस प्रकार मध्यस्थता कार्यवाही के फलस्वरूप उक्त प्रकरण का भी निराकरण सम्भव हुआ।

National Lok Adalat (10.07.2021)

With a view to resolve disputes of parties, the M.P. SLSA designed formats for conducting e-Lok Adalat. Accordingly, National Lok Adalats for all matters through hybrid mode was scheduled on **10.07.21** at the High Court and District Court level.

Disposal at High Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
2354	1048	7,93,70,181/-	4492

Disposal at Distt. Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
580986	107725	4,85,78,65,118/-	147454

Total Disposal (High Court + District Court)

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
583340	108773	4,93,72,35,299/-	151946

Disposal at Real Estate Regulatory Authority

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
74	26	21149883/-	26

LOK ADALAT SCORES OVER COVID FEAR

10th July 2021 was marked with a landmark disposal of cases through the medium of Lok Adalat which is an Alternative Dispute Resolution Mechanism. Around 1267 benches were constituted, at the end of the day, the statistics reveal that over 108773 cases were successfully resolved resulting settlement amount of Rs. 4,93,72,35,299/- and approx. 5960 MACT cases amount to Rs 163 crores. Whereas, 6037 Negotiable Instrument Act cases settling amount of Rs. 117 crores approx.

The success is attributable to the able guidance of Hon'ble the Chief Justice/Patron-in-Chief MPSLSA and motivation of Hon'ble the Executive Chairman, MPSLSA. All judges worked round the clock for facilitating litigants to come forward and settle their matters, while advocates, members of community and student volunteers also whole heartedly participated in this event, which make the entire process a great success of the National Lok Adalat.

Glimpses National Lok Adalat (10.07.21)

DLSA BARWANI

DLSA REWA

DLSA SHAHDOL

10.07.21 नेशनल लोक अदालत, श्रीमान विशेष न्यायाधीश जिला न्यायालय, राजगढ़ द्वारा बैंक, नगरपालिका, बी.एस.एन.एल. विद्युत विभाग आदि के काउंटरों पर बैठे पदाधिकारियों से वार्ता की।

DLSA RAJGARH

DLSA GUNA

DLSA MORENA

DLSA CHHINDWARA

DLSA GWALIOR

DLSA SHAJAPUR

DLSA HARDA

न किसी की जीत - न किसी की हार

Preparation of National Lok Adalat (10.07.21)

नेशनल लोक अदालत से संबंधित सफलता की कहानियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 27 साल पुराना मामला निराकृत

जिला एवं सत्र न्यायालय धार में आयोजित नेशनल लोक अदालत में पंचम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित 27 वर्ष पुराने सिविल प्रकरण का निराकरण सुलह–समझौता के माध्यम से किया गया। यह मामला पक्षकारों के मध्य वर्ष 1994 से लंबित था।

विवाद यह था कि, प्रतिवादी वत्सलाबाई एवं उनके पुत्र स्व. अनिल कुमार ने अपने जीवनकाल में वादी के साथ मकान नं. 25, रासमण्डल पटेल मार्ग, धार के मकान को 1,48,000/–रूपये में बेचने का अनुबंध किया था। इस अनुबंध पर प्रतिवादी द्वारा अग्रिम 25,000/–रूपये प्राप्त किये गये थे। तथा शेष राशि विक्रय पंजीयन के समय देना तय हुआ था।

उभयपक्षों के मध्य यह राजीनामा हुआ कि प्रतिवादीगण श्रीमती अरूणा एवं अनुराग वादी श्रीमती मनोरमा बाई को दिनांक 10.07.2021 से नौ माह के भीतर अर्थात दिनांक 10.04. 2022 तक 10,00,000/– रूपये अदा करेंगें, यदि उक्त अवधि में प्रतिवादीगण वादी को उक्त राशि अदा नहीं करते है, तो वादी से 1,23,000/–रूपये प्राप्त कर वादी के पक्ष में दाविया संपत्ति का विक्रय पंजीयन करवाकर बिना हर्ज दाविया संपत्ति का आधिपत्य वादी को प्रदान करेंगें। वादी एवं प्रतिवादी को प्रतीक के रूप में फलदार वृक्ष प्रदान किये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

क्लेम प्रकरण में हुआ 54 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का समझौता

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण क्रमांक 376/17 में आवेदक विजय पिता गिरवर विरूद्ध केशर सिंह पिता रेवाराम के प्रकरण में सर्वाधिक क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान करने पर सहमति हुयी। आवेदक विजय की इंदौर से आते वक्त भोपाल वायपास पर 04 वर्ष पूर्व ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर हो गई थी, जिसके कारण आवेदक के सीने के नीचे के शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप अनावेदक को अपने जीवन यापन करने मे अत्यधिक कठिनाई आ रही थी। उक्त प्रकरण काफी समय से लंबित रहा जिसमें दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता करवाया गया एवं बीमा कंपनी बजाज ऐलियांज़ की ओर से आवेदक को 54,00,000/—रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने पर सहमति बनी।

लोक अदालत के माध्यम से आपसी मतभेद भुलाकर एक हुई देवरानी एवं जेठानी

जिला एवं सत्र न्यायालय देवास में आयोजित नेशनल लोक अदालत में एक लंबित प्रकरण में माता एवं दूसरे भाई के मध्य पारिवारिक कृषि भूमि का विवाद था। विवाद के समय ही दोनो भाई एवं माता की मृत्यु हो गई थी। जिससे मृत्यु उपरान्त दोनो भाइयों के वारिसान के मध्य विवाद जारी रहा। नेशनल लोक अदालत में इस प्रकरण का रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप वे दोनो आपसी समझौते से प्रकरण के निराकरण के लिए राजी हुई व दोनों अपने—अपने हिस्से को लेकर नामांतरण हेतु सहमत हुए। इस राजीनामे का सुखद परिणाम यह निकला कि जो विवाद माता के जीवित रहने पर नहीं सुलझा वह माता की मृत्यु उपरांत दोनों भाईयों कि पत्नियों ने लोक अदालत के माध्यम से समझौता कर समाप्त किया एवं दोनो देवरानी एवं जेठानी अपने बच्चों सहित एक ही घर में जीवन यापन कर रहे हैं। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से इस प्रकरण प्रकरण का सुगम निराकरण हुआ एवं उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित हुए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 10.07.2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में एक ऐसे प्रकरण का निराकरण हुआ जिससे दो वर्षों से पृथक रह रहे दंपत्ति को एकसाथ कर दिया। आवेदिका अपने पति से पिछले 06 वर्षों से अपनी पुत्री के साथ अपने पति से पृथक निवास कर रही थी एवं उसके द्वारा अपने पति व ससुराल वालों के विरूद्ध घरेलू हिंसा के अंतर्गत प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया गया था, उक्त प्रकरण में परिवार व समाज के लोगों द्वारा समझाईश दी गई, परन्तु दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े रहे एवं मामले का कोई समाधान नहीं हो सका, उक्त प्रकरण को दिनांक 10.07.2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में रखा गया। गठित पीठ की न्यायाधीश व सदस्यगण द्वारा आवेदिका व अनावेदक को समझाने का प्रयत्न किया गया। उभयपक्षों को उनके पृथक–पृथक रहने से उनकी लडकी के भविष्य में पडने वाले प्रभावों से अवगत कराया गया तो दोनों पक्ष पुरानी बातों को भुलाकर एक–दूसरे के साथ रहकर अपने नये जीवन की शुरूआत करने हेतु सहमत हो गये, इस प्रकार विगत 06 वर्षों से न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजर रहा था, टूटने से बच गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में मृतक विनोद कुमार ठाकुर उम्र 47 वर्ष शासकीय प्राथमिक शाला ग्वारी में शिक्षक के पद पर पदस्थ था एवं दिनांक 06.06.2018 को रात्रि लगभग 9 बजे मृतक ग्राम डूंडासिवनी से अपनी साईकल से अपने घर सिवनी की ओर सड़क के बाई ओर से जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से आने वाली पिकअप वाहन के चालक द्वारा उपेक्षा व लापरवाही से वाहन चलाकर मृतक की साईकल में ठोकर मार दी। जिससे मृतक विनोद ठाकुर की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी श्रीमती सुधा ठाकुर एवं पुत्रियों की ओर से अधिकरण में दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अथक प्रयासों से 4975000/–– रूपयें में राजीनामा हुआ। बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा जानकारी दी कि जबलपुर संभाग में किसी भी बीमा कंपनी की ओर से यह सर्वाधिक राशि का अवार्ड है, जिसे यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने स्वीकार किया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

पारिवारिक कलह से जूझ रहे दम्पत्ति हुये एक

कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष लंबित एक प्रकरण में पत्नि द्वारा अपने पति के विरूद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत एवं भरण पोषण का प्रकरण प्रस्तुत किया था, उक्त प्रकरण लगभग 03 वर्ष से लंबित था। प्रकरण में पति–पत्नि को पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्यों के द्वारा समझाईश दिये जाने के उपरांत दोनों ने अपने–अपने प्रकरण में राजीनामा किया व दोनों मुस्कुराते हुये न्यायालय से विदा हुये। इस अवसर पर पति–पत्नि द्वारा एक दूसरे को अपनी खुशी स्वरूप माला पहनाई गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर की खण्डपीठ द्वारा कुटुम्ब न्यायालय में लंबित दाम्पत्य विवाद के प्रकरण क्रमांक 05/2020 में समझौता कराया गया। अलीराजपुर जिले के ग्राम आम्बुआ निवासी आवेदिका का उसके पति के साथ मतभेद चल रहा था, उक्त प्रकरण में भरण पोषण हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 10.07.2021 को नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी द्वारा पति–पत्नी को पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से समझाया गया, जिससे पति–पत्नी आपसी सहमति से समझौता हेतु तैयार हुए। आपसी समझौता होने पर दोनों दम्पति ने आपस में फूल माला पहनाई एवं राजी–खुशी घर लौटे इस अवसर पर उन्हें फलदार वृक्ष का पौधा भी भेंट किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रीवा में काफी समय एक भरण पोषण का प्रकरण लंबित था, जिसमें 81 वर्षीय वृद्ध महिला द्वारा अपने पुत्रों के खिलाफ धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत प्रकरण लगाया था, उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों को पीठासीन अधिकारी द्वारा समझाया गया एवं वृद्ध मां के पुत्रों द्वारा अपनी माता को मिलजुल भरण–पोषण की राशि प्रदान करने की सहमति बनी एवं नेशनल लोक अदालत यह प्रकरण समाप्त हुआ।

तीन वर्ष बाद मिला मां को बच्चों का सहारा

जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुटुम्ब न्यायालय में 81 वर्षीय मां के दिल उस समय बहुरे जब कुटुम्ब न्यायाधीश वाचस्पति मिश्रा द्वारा कराए गए आपसी समझौते के तहत मां को अपने चार बच्चों का सहारा मिला और बच्चे अपनी मां को साथ में रखने के लिए राजी हो गए। इस संबंध में बताया गया है कि सिटी कोतवाली अंतर्गत शिवपुरवा-रौसर निवासी 81 वर्षीय वृद्ध मां के चार बच्चे थे। इनमें लालमन सिंह, रामपाल सिंह, श्रीनिवास सिंह और पंचम सिंह। लेकिन इनमें से पंचम सिंह को छोड़कर बांकी सभी मां का साथ छोड़ दिया था। इसके चलते मां अकेली पड़ गई और उसका गुजर-बसर नहीं हो रहा था। मां की एक बेटी भी थी। परेशान होकर मां ने बच्चों के खिलाफ कुटुम्ब न्यायालय में मामला दायर कर रखा था। करीब तीन वर्ष बाद आपसी समझौते के तहत सभी बच्चे अपनी मां को अपने साथ रखने के लिए राजी हो गए। न्यायालय के आदेशानुसार सभी बच्चों को मां के लिए प्रतिमाह 5-5 सौ रुपए देना होगा तथा मां की सेवा भी करनी होगी। इसी के साथ यह प्रकरण समाप्त हो गया।

आपसी समझौते के तहत वृद्ध मां को मिला न्याय

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर

05 वर्ष पूर्व विवाहित आवेदिका एवं उसके पति विवाह के समय से ही लगातार छोटी छोटी पारिवारिक बातों को लेकर पृथक निवास कर रहे थे। आवेदिका की ओर से दिये गये आवेदन के अनुसार उसके पति एवं उसके सास–ससुर द्वारा की गई अनावश्यक मांग एवं खाने के लिये समुचित सामग्री उपलब्ध ना कराने के कारण वे दोनों पृथक–पृथक निवास करने हेतु विवश थे। उक्त प्रकरण नेशनल लोक अदालत पीठ के समक्ष आया एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षों को अपनी–अपनी गलतियां का अहसास दिलाया गया एवं एक–दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी का को बताया गया। तत्पश्चात प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष वे दोनों खुशी–खुशी साथ रहने के लिये तैयार हुए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली में आयोजित नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.07.2021 में न्यायालय में 22 साल पुराने ट्रिब्यूनल प्रकरण का पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निराकरण हुआ। जिसमें अनावेदक श्री शोभनाथ कोईर के वारिस राजकुमार कुशवाहा द्वारा आवेदिका सुलोचनी कोईर को 2,75000/–रु. प्रतिकर राशि का भुगतान किया गया।

आवेदिका सुलोचनी कोईर द्वारा वर्ष 1999 में अंशकालिक अधिकरण (कोयला धारक क्षेत्र अर्जन एवं विकास) सीधी के समक्ष अनावेदक श्री शोभनाथ कोईर के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया गया था, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि 4 दुद्धीचुआ की भूमि खसरा क्रमांक 67 रकवा 1.97 हे0 आवेदिका के पिता बुद्धु के स्वामित्व की है जिनकी मृत्यु हो जाने पर उक्त भूमि का नामांतरण अनावेदक शोभनाथ कोईर द्वारा अपने नाम करवा कर भूमि के एनसीएल द्वारा अर्जित किये जाने के उपरान्त उसका मुआवजा मुवलिग 52,300/– रु. अनावेदक शोभनाथ द्वारा एन.सी. एल. के अधिकारियों से सांठ गांठ करके ले लिया गया। दावा लंबित रहने के दौरान अनावेदक शोभनाथ कोईर की मृत्यु हो गई थी। मामला सिंगरौली में अधिकरण गठन के बाद सीधी से अंतरित होकर वर्ष 2013 से सिंगरौली अधिकरण में लंबित था। उक्त प्रकरण को नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ में रखा गया तथा आपसी राजीनामे के आधार पर अनावेदक से आवेदिका को 275000/– रु. दिलवाया गया।

लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक दिनांक 03.07.2021 को लोक उपयोगी सेवाओं के लिये स्थाई लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत में सुनवाई हेतु नगर पालिका, नाली सफाई, स्ट्रीट लाईट सुधार, पेयजल हैण्डपंप सुधार आदि के कुल 11 प्रकरणों में उभयपक्षों को सुना गया एवं उक्त प्रकरण को दिनांक 10.07. 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में रखकर न्यायसम्मत समझौते के आधार पर निराकरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा लोकोपयागी सेवाओं के लिये आयोजित स्थायी लोक अदालत में 01 प्रकरण में संज्ञान में आया जिसमें आवेदक श्री राजेश मेड़वाल के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में वर्ष 2018 में प्रवेश लेकर सी.सी.पी. कोर्स हेतु आवेदन किया गया था, आवेदक माह जून 2019 में आयोजित परीक्षा में शामिल हुआ था परन्तु आवेदक को कोई अंकसूची व प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया व संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करने पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत न होने के कारण मार्कशीट व प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाना बताया गया, किंतु प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी आवेदक को मार्कशीट व प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया एवं न ही उसे संतोषप्रद जवाब प्राप्त हुआ। उक्त घटनाक्रम से व्यथित होकर आवेदक के द्वारा लोकोपयेागी लोक अदालत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर लोकोपयोगी लोक अदालत के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रभारी अधिकारी, मंदसौर व क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी, भोपाल को तलब किया गया, जिनके द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में प्रोजेक्ट का विहित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत किया जाना बताया गया एवं आवेदक के आवेदन को निरस्त किया जाना बताया गया, उक्त मामले को नेशनल लोक अदालत में सुनवाई में लिये जाने पर एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की गई, जिसके फलस्वरूप उक्त प्रकरण का निराकरण हो गया एवं आवेदक को बिना किसी शर्त के अंकसूची व योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया गया।

Reaching out to Jail Inmates

JAIL INSPECTION BY OFFICERS OF MPSLSA

On 22nd July 2021, a jail inspection of Netaji Subhash Chandra Bose Central Jail Jabalpur was made by Shri Dharminder Singh Rathod, Member-Secretary, M.P. State Legal Services Authority. During the inspection various wards including psychopathic prisoners ward were visited and the inmates were inquired about the medical condition, sanitation and problems faced by them.

On this occassion Mr. Singh apprised the utility of the legal aid clinic operating in the jails to provide necessary legal services to the prisoners. The prisoners in barracks were adviced and made aware about the legal aid available to them for submission of appeals etc.

विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने किया जेल का निरीक्षण

पीपुल्स संवाददाता • जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव धरमिंदर सिंह ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस केन्द्रीय जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल के वार्डों का निरीक्षण करते हुए मनोरोगी बंदियों के वार्ड में जाकर उनकी चिकित्सीय एवं अन्य समस्याओं के बारें में भी जानकारी ली। उन्होंने बैरक में निरीक्षण के दौरान बंदियों से पूछताछ करते हुए उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध होने, दोषसिद्ध बंदियों के अपील प्रस्तुत किए जाने संबंधी आदि जानकारियां भी ली। निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविन्द श्रीवास्तव, मनीष ठाकुर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे उपस्थित रहे।

During the inspection, Member Secretary Shri Dharminder Singh Rathod directed the Secretary, District Legal Services Authority, Shri Manish Thakur, to ensure that the panel advocates should regularly interact with the prisoners and take action after getting the information about their case. Jail officers have also been directed that arrangements should be made for the panel lawyers to meet the prisoners separately in the four wards of the jail premises at convenient place.

During the inspection, Additional Secretary Shri Manoj Kumar Singh, Deputy Secretary Shri Arvind Shrivastava, MPSLSA, Shri Manish Thakur Secretary District Legal Services Authority Jabalpur and District Legal Aid Officer Shri Jitendra Mohan Dhurve, MPSLSA were also present.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा दिनांक 24.07.2021 को केन्द्रीय जेल भोपाल में विधिक जागरूकता एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सचिव द्वारा जेल के महिला वार्ड, झूलाघर वार्ड, महिला चिकित्सालय, उद्योग कक्ष, मेडिकल कक्ष एवं रसोई घर का निरीक्षण किया।

महिला वार्ड में निरूद्ध महिला बंदियों से उनकी शिक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। झूलाघर वार्ड में बच्चों में निबंध एवं कवितायें पूछी गई एवं बच्चों को बिस्किट के पैकेट वितरित किये गये। इसी क्रम में रसोईघर में भोजन एवं उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। केन्द्रीय जेल भोपाल द्वारा वर्तमान तक 110 बंदियों को पैरामेडिकल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त सभी बंदियों से उनकी समस्याओं के संबंध मे चर्चा की गयी एवं जिन बंदियों को विधिक सहायता की आवश्यकता है उनकी जानकारी लेकर उन्हें विधिक सहायता प्रदान करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की गई। बंदियों से उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध मे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया। शिविर के दौरान बंदियों को उनके अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

Glimpses of Awareness Camps & Inspection in the Jails

DLSA SHAHDOL

DLSA ALIRAJPUR

DLSA REWA

DLSA RATLAM

DLSA SHAJAPUR

DLSA BETUL

DLSA UJJAIN

DLSA MANDLA

DLSA BARWANI

DLSA DEWAS

DLSA JABALPUR

DLSA ANUPPUR

DLSA MANDLESHWAR

DLSA DHAR

DLSA SHAHDOL

DLSA GUNA

DLSA MANDSAUR

DLSA SEHORE

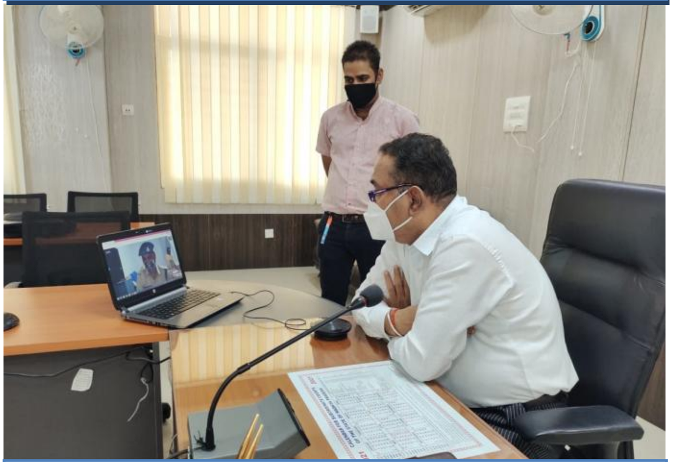

DLSA RAJGARH

DLSA SIDHI

"Hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny."-

............C.L. LEWIS

Legal Services to Children under NALSA Scheme

Visit of Observation Home and Children's Home

On 28.07.2021, Observation Home and Children's Home at Ranjhi were inspected by Shri Dharminder Singh Rathod, Member Secretary, MP State Legal Services Authority. The facilities provided as per the Juvenile Justice Act, 2015 viz. educational, physical & mental development of children and their rehabilitation were inspected particularly.

During the inspection, officers personally interacted with the children living in the Observation Home and inquired about their problems. Children in conflict with law living in the observation home were informed regarding appointment of advocates free of cost under legal aid for defense in their cases. In connection with the above, Member-Secretary directed the officers of the Observation Home to provide legal aid to all the children.

Along with this directions were given to the staff of the Observation Home to keep the premises clean and children are provided regular yoga/pranayama classes.

Further, Member-Secretary MPSLSA advised the officers and staff posted in Child Welfare Committee, Observation Home and Children's Home to work in the best interest of the children by taking utmost sensitivity towards the children and create a child friendly environment inside Homes.

Superintendent of the Observation Home apprised that training to children for preparation of incense sticks is proposed to be given by Centre for Entrepreneurship Development Madhya Pradesh and a machine has also been provided to Observation Home but due to Corona this training program could not be commenced. Taking note of this, the Member Secretary forthwith directed the concerned to start the training program as soon as possible and assured that they will continue to get as much co-operation and coordination as possible from the Legal Services Authority for the physical, mental and educational development of the children.

In the said inspection, Deputy Secretaries Arvind Shrivastava & Ms. Swapnashree Singh along with DLAO Jitendra Mohan Dhurve of the MPSLSA were also present.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा बालकों के लिए कार्यशाला का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा दिनांक 05.07.2021 को स्थानीय आधारशिला संस्थान बालभवन दमोह में मानसिक रूप से कमजोर व दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संबंध में जानकारी ली गई, उन्हें साफ–सफाई से रहने हेतु प्रोत्साहित किया गया। तत्पश्चात् पूर्व में बच्चों के द्वारा पर्यावरण पर बनाई गई पेंटिंग के संबंध में विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर पाने वाले बालकों को पुरूष्कार वितरण किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा दिनांक 05.07.2021 को **नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015** के अंतर्गत बाल संप्रेषण गृह एवं बाल गृह, रतलाम में ऑनलाईन माध्यम से निरीक्षण सह शिविर आयोजित किया गया। निरीक्षण के दौरान बच्चों से उनके भोजन, रहन–सहन एवं अन्य विषयों की जानकारी ली। कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाल संप्रेषण गृह में साफ–सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यदि किसी भी सामग्री अथवा सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने हेतु समझाईश दी गई।

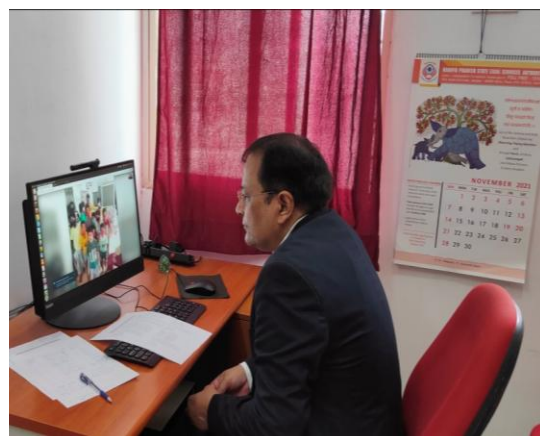

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैंतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा दिनांक 26.07.2021 को सेवा भारती (मध्य भारत) भोपाल द्वारा संचालित शिशु गृह ''मातृछाया'' बैतूल का निरीक्षण कर शिशु गृह की व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की।

DLSA BHIND

DLSA CHHATARPUR

DLSA MANDLA

DLSA MANDSAUR

DLSA SIDHI

DLSA SEONI

DLSA REWA

DLSA DHAR

DLSA PANNA

DLSA GUNA

शाला त्यागी बच्चों के पुनः विद्यालय में प्रवेश हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा चलाया जा रहा अभियान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से शाला त्यागी बच्चों एवं अप्रवेशी बच्चों के संबंध में संपूर्ण नीमच जिले में अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत जो बच्चे गरीबी, मजदूरी, विवाह हो जाने, आर्थिक परिस्थितियां ठीक न होने के कारण अथवा अन्य कारणवश पढ़ाई छोड़ देते है या कक्षा मे प्रवेश नहीं ले पाते है, ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके परिवार को कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत नीमच जिले के करीब 132 परिवारों से संपर्क किया जा चुका है। पैरालीगल वालेन्टियर्स द्वारा निरंतर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित शाला त्यागी बच्चों एवं उनके परिवार के लोगों से सम्पर्क कर सर्वे कार्य किया गया। बच्चों को आगे पढ़ने के लिये प्रेरित किया तथा उनके पालको को कक्षा में प्रवेश दिलाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। उक्त प्रयास के फलस्वरूप कुछ बच्चों द्वारा स्कूल में प्रवेश करवा लिया गया है और शेष बच्चों के प्रवेश संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 04.07.2021 को शाला त्यागी बच्चों के संबंध में चलाये जा रहे विशेष अभियान अंतर्गत, पैरालीगल वालंटियर के सहयोग से निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शाला त्यागी बच्चों के पुनः विद्यालय में प्रवेश हेतु जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में बच्चों के अभिभावक से चर्चा कर एवं जिला स्तर पर शिक्षा विभाग से सहयोग लेकर पुनः प्रवेश संबंधी कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

Blood Donation Campaign

Under the able guidance of Hon'ble the Chief Justice and Patron in Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority Shri Justice Mohammad Rafiq, a blood donation campaign was launched throughout the State in coordination with health department.

The programme commenced with the online inauguration on 26.06.2021 at 10:00 am by Hon'ble the Executive Chairman MP SLSA, Shri Justice Prakash Shrivastava.

In the period between 26th June to 7rd July 2021, 4713 units of blood have been donated while some districts have organized camps in this month.

The outcome of this campaign has been hailed by all as an important step to provide accessibility to good public health to all persons. It is noteworthy that a decision to donate blood can save not just one but several lives when it is separated into its components for use by patients with specific conditions.

DLSA ALIRAJPUR

DLSA ASHOKNAGAR

DLSA ANUPPUR

DLSA BETUL

DLSA CHHINDWARA

DLSA CHHATARPUR

DLSA DHAR

DLSA NARSINGHPUR

DLSA RAJGARH

DLSA REWA

DLSA SEONI

"Blood can circulate forever, if you keep donating it."

~~~Anynomous
~~~

Helping Hands of AAPI through MPSLSA donates Covid Concentrators to Victoria District Hospital

Taking note of the scarcity of oxygen when the country was hit by the 2nd Corona Wave and anticipating the possibility of the 3rd corona wave hitting the country in the near future, M.P. State Legal Services Authority coordinated with good Samaritans ***"Indian Association of Physician of Indian Origin"*(AAPI)** who donated **Ten Oxygen Concentrators** priced at around Rs. 08 Lacs for the public health.

On 08th July 2021, Hon'ble the Executive Chairman handed over the concentrators to Dr. Ratnesh Kuraria, CMHO, District Jabalpur in presence of the Collector Shri Karamveer Sharma.

On this occasion, Member Secretary MPSLSA Smt. Giribala Singh, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Shri Zeeshan Khan, Shri Jitendra Mohan Dhurve, District Legal Aid Officers were also present.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-07-09 | Page- 1
ehitavada.com

MPSLSA donates oxygen concentrators to Victoria District Hospital

■ Legal Correspondent

HELPING Hands of Indian Association of Physician of Indian Origin (AAPI) through Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) donated oxygen concentrators to Victoria District Hospital.

Taking a note of the scarcity of oxygen when the country was hit by the 2nd corona wave and anticipating the possibility of the 3rd corona wave hitting the country in the near future, MP State Legal Services Authority co-ordinated with good Samaritans Indian Association of Physician of Indian Origin (AAPI) who donated Ten Oxygen Concentrators priced at around

(Contd on page 2)

Senior office-bearers of MPSLSA donating oxygen concentrators to Victoria Hospital.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल: जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने सीएमएचओ को किए सुपुर्द

विक्टोरिया अस्पताल को भेंट किए 10 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ऑरिजन के समन्वय से कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए विक्टोरिया अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स सौंपे। सालसा मुख्यालय में गुरुवार शाम आयोजित सादे समारोह में सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने 8 लाख रुपए कीमत के ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स सीएमएचओ डॉ. रत्नेश कुररिया के सुपुर्द किए।

इस मौके पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स की मदद से विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज में आसानी होगी। अमेरिका में रहने वाले भारतीय डॉक्टरों की यह पहल सराहनीय है। यह पहल देश के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करता है। ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स से गंभीर मरीजों की जान बचाने में सहायता मिल सकेगी। कार्यक्रम में सालसा की सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह और उप सचिव अरविंद श्रीवास्तव मौजूद थे।

www.readwhere.com

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय से दिनांक 05.07.2021 को वृद्धाश्रम अनूपपुर में ''नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2016'' के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में वृद्धजनों को उनके अधिकारों एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में अवगत कराया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 02.07.2021 को बसेरा वृद्धाश्रम देवास में कोविड–19 की गाईडलाइन का पालन करते हुए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में उपस्थित वृद्धजनो के स्वास्थ्य एवं भोजन संबंधी व्यवस्था की जानकारी ली गई, साथ ही वृद्धजनो को कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण एवं बचाव के संबंध में जागरूक कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। वृद्धजन को उनके विधिक अधिकारों, विधिक सहायता, नालसा एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

DLSA BHIND

DLSA DHAR

DLSA MANDLA

DLSA MANDSAUR

DLSA SEHORE

DLSA SEONI

DLSA SHAHDOL

DLSA SHEOPUR

"Beautiful young people are Acts of Nature, But Beautiful Old People are Works of Art."

~~~Anynomous
~~~

Training and Webinar

MPSLSA SHARES INPUTS IN NATIONAL WEBINAR ON ACID ATTACK

In a Nationwide Progaramme launched by Bhagidari Jan Sahyog Samiti and NSS Guru Gobind Singh Indraprastha University through virtual mode on *"Legal Aid and Advice to Acid Attack Victims"* chaired by Hon'ble Madam Justice Indira Banerjee, Judge Supreme Court of India, Member-Secretary Ms. Giribala Singh expressed her views on behalf of the M.P. State Legal Services Authority as a panelist.

It was observed that as 85% of the acid attack victims are women efforts must be made for creating awareness among children about the gender equality, ill effects of acid use, resolution of conflicts through peaceful modes in coordination with the School Education and Women and Child Development Department.

Further, it was reflected that two Panel Advocates and two PLVs should be trained by DLSA/TLSCs to assist the victims and their families before, during and after the trial so that a healthy support system can be created for victims.

Several recommendations were also made like establishment of an Authority to regulate Skin Banks and skin donation in the country, creation of a dedicated helpline for regular follow up with the patients, a portal for acid attacks which reflects duty holders, details of hospitals for plastic surgeries, counselors, details of DLSA/PLVs. The States should be directed to provide Disability Certificate where there 10% of burn.

Hon'ble Madam Justice Gyan Sudha Misra Former Judge, Supreme Court of India, Hon'ble Madam Justice R.K. Phukan Judge, High Court of Gauhati were also present on this occasion. Among other participants were Judicial officers, Chairpersons of National and State Commission for Women, duty holders from various departments across the country.

The programme ended with a vote of thanks to the Hon'ble Chair.

Programme launched for legal aid, advice to acid attack victims

■ Legal Correspondent

IN A nationwide progarmme launched by Bhagidari Jan Sahyog Samiti and NSS Guru Gobind Singh Indraprastha University through virtual mode on 'Legal aid and advice to acid attack victims' chaired by Justice Indira Banerjee, Judge, Supreme Court of India, Member Secretary Giribala Singh, expressed her views on behalf of the MP State Legal Services Authority as a panelist.

It was observed that as 85% of the acid attack victims are women, efforts must be made for creating awareness among children about the gender equality, ill effects of acid use, resolution of conflicts through peaceful modes in coordination with the School Education and Women and Child Development Department. Further, it was reflected that two panel advocates and two PLVs should be trained by DLSA/TLSCs to assist the victims and their families before, during and after the trial so that a healthy support system can be created for victims. Several recommendations were

(Contd on page 2)

Justice Indira Banerjee and Member Secretary MPSLSA Giribala Singh during the virtual programme.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

जागरूकता की कमी, 85 प्रतिशत महिलाएं एसिड अटैक की शिकार

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का राष्ट्रीय वेबीनार

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

गिरीबाला सिंह   जस्टिस सुधा मिश्रा

एसिड हमले के पीड़ितों के लिए आयोजित राष्ट्रीय वेबीनार भागीदार जनसहयोग समिति और एनएसएस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विवि द्वारा उन्हें कानूनी सहायता और सलाह पर वर्चुअल मोड के माध्यम से शुरू किए गए उक्त राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी व मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने पैनलिस्ट के रूप में अपने विचार व्यक्त किए।

वेबीनार में बताया गया कि एसिड अटैक में 85 फीसद महिलाएं होती हैं। इसके लिए बच्चों में लैंगिक समानता एसिड के उपयोग के दुष्परिणामों के संबंध में जागरुकता पैदा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। स्कूली शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से मतभेदों का समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा दो पैनल अधिवक्ताओं और दो पीएलवी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि विचारण के दौरान और वाद में पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता की जा सके। देश में स्किन बैंकों एवं त्वचादान को विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना, रोगियों के साथ नियमित फॉलोअप लेने के लिए एक समर्पित हेल्प लाईन बनाए जाने की आवश्यकता है। एसिड हमलों के लिए एक पोर्टल जिस पर संबंधितों की जानकारी, प्लास्टिक सर्जरी के लिए अस्पतालों का विवरण उपलब्ध हो आदि के संबंध में अनुसंशाएं की गईं। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, गुवाहाटी हाईकोर्ट की न्यायाधीश आरके फुकन उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य प्रतिभागियों में न्यायिक अधिकारी व राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं देशभर के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर द्वारा दिनांक 26.07.2021 पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चाइल्ड लाइन के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस कंट्रोल रूम में विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिभागियों को प्री–अरेस्ट/अरेस्ट स्टेज एवं न्यायालयीन प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015, नालसा की योजना एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान कर प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देकर उन्हें मार्गदर्शन दिया। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिभागीगण सम्मिलित होकर लाभांवित हुए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा दिनांक 16.07.2021 पुलिस कंट्रोल रुम, जिला–उज्जैन में पुलिस विभाग के अधिकारियों हेतु एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम/विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अन्य न्यायाधीशगण, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग के अधिकारीगण एवं विधि छात्र उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत अरनेश कुमार वि. बिहार राज्य में पारित संकल्पों का कठोरता से पालन कराये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्रसारित कराये गये। उक्त कार्यक्रम में लगभग 105 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा दिनांक 02.07.2021 को ए.डी.आर. सेंटर खण्डवा में पैनल अधिवक्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम सह शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में नेशनल लोक अदालत के प्रचार–प्रसार व अधिक से अधिकरण प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण में पैनल लॉयर्स की भूमिका बतलायी गई।

उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं को नालसा, राज्य प्राधिकरण की योजनाएं, मध्यस्थता नेशनल लोक अदालत आदि के संबंध में आमजन को लाभ पहुंचाने हेतु जानकारी प्रदाय की गई। साथ ही पैनल अधिवक्ताओं की समाज में असहाय व पिछड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा दिनांक 22.07.2021 को जिला राजगढ़ एवं तहसील ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर एवं जीरापुर के पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैरालीगल वालेंटियर्स को न्यायपालिका की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने, आमजन को नालसा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न अधिनियमों एवं विभिन्न विभागों की जानकारियां भी प्रदाय की गई। कार्यक्रम के दौरान समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर उनका मनोबल बढाया गया। इस अवसर पर समस्त तहसीलों से आये हुये पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु पहचान पत्र व प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर के सचिव द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 03.07.2021 को पैनल अधिवक्ताओं हेतु ई–कोर्ट प्रोजेक्ट विषय पर ऑनलाईन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ

तहसील विधिक सेवा समिति ब्यावरा के द्वारा दिनांक 16.07.2021 को ग्राम कामल्याखेड़ी में ऑनलाईन माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में ग्रामीणजनों को बाल अपराध, नातरा प्रथा, महिलाओं के अधिकार, मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदाय की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाडा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाडा द्वारा दिनांक 16.07.2021 को ग्राम परसगांव सर्रा एवं चिकटबर्री में नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विधिक सेवायें) योजना के अंतर्गत ऑनलाईन विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा योजनाओं, मध्यस्थता योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की। शिविर के दौरान ग्रामीणजन ने उनकी विधिक समस्याएं पूछकर उनका निराकरण किया गया।

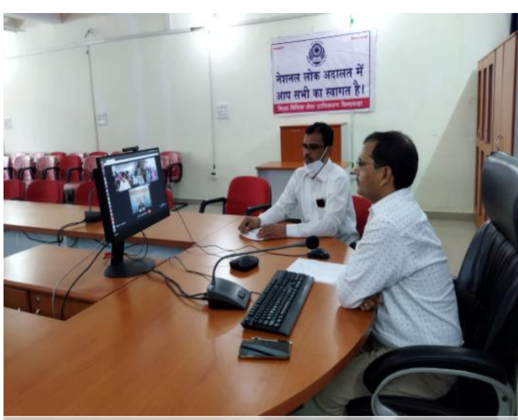

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/ऑनलाईन विधिक साक्षरता शिविरों की झलकियां

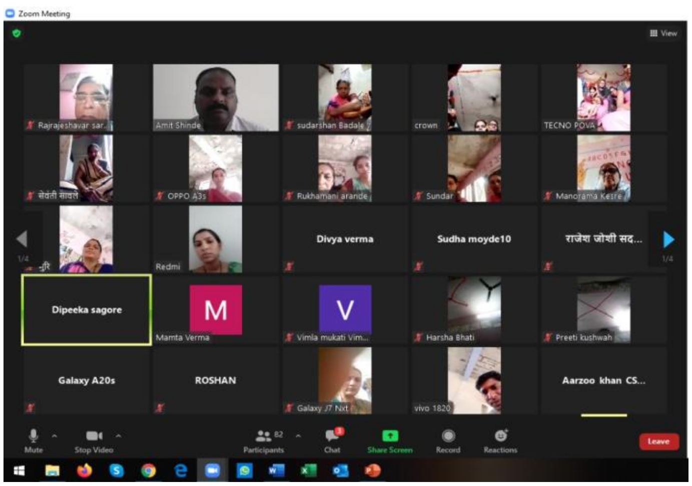

DLSA MANDLESHWAR

DLSA RAISEN

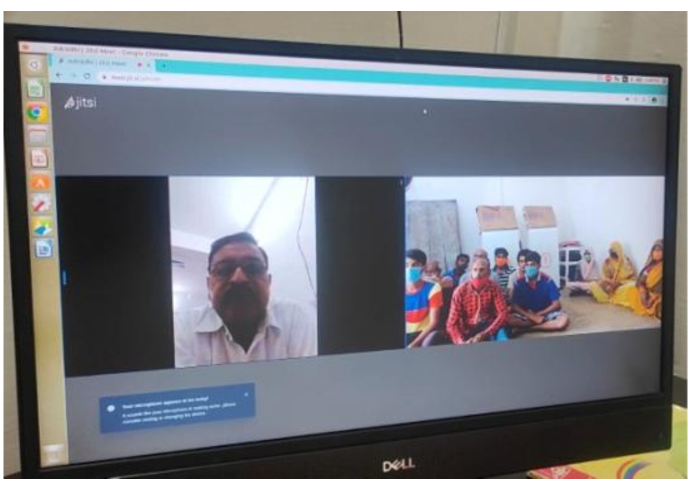

DLSA SIDHI

DLSA DAMOH

Reviving Litigation Free Village Scheme 2000

Legal Literacy Camp Organised at dispute-free village Bija

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-07-28 | Page- 2
ehitavada.com

Legal literacy camp organised at dispute-free village Bija

DLSA officials and law students seen during legal literacy camp at Bija village.

■ Staff Reporter

A LEGAL literacy camp was organised at dispute-free village Bija in Patan tehsil under Dispute Free Village Scheme 2020.

The camp was organised under the guidance of Naveen Kumar Saxena Principal District Judge and Chairman of District Legal Services Authority Jabalpur, by Manish Singh Thakur District Judge and Secretary DLSA.

During the visit, law students were also present. Manish Singh Thakur along with Law Students met the residents of the dispute-free village Bija to know their problems during the Awareness programme. In this regard, it was appraised by Manish Singh Thakur, Secretary, District Legal Services Authority, Jabalpur that the villages selected under the Dispute free Village Scheme 2000 are adopted by the Legal Services Authority and coordinated with the government department to resolve the problems of the residents of the these villages. By doing this, other villages are also encouraged to resolve their disputes with mutual understanding to come under the category of dispute free villages and avail such benefits.

On the occasion, Arvind Shrivastava, Deputy Secretary SLSA, Village Sarpanch, Law Students and Paralegal Volunteers Praveen Patel and Ankit Patel were also present.

DLSA Jabalpur organized a legal literacy camp at litigation free village Bija in Patan tehshil under Litigation Free Village Scheme 2020.

During the visit, law interns were also present. Secretary DLSA interacted with the residents of the the litigation free village Bija to know their problems during the Awareness Programme. In this regard, Secretary DLSA apprised to villagers that the villages selected under the litigation free village Scheme 2000 are adopted by the Legal Services Authorities to resolve the problems of the villagers in coordination with District administration and also awared to them about Alternative despute resolution methods such as Mediation, Lok Adalat etc. to resolve their disputes with mutual communication and can avail such benefits through these methods.

On the occasion, Arvind Shrivastava, Deputy Secretary SLSA, the members of Seva Dal, Sarpanch, Law students and Paralegal Volunteers were also present.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न ग्राम योजना के महत्व को समझाने एवं ग्राम की मूलभूत सुविधाओं जैसे प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा, सिंचाई हेतु जल उपलब्धता, सड़क एवं सरकारी योजनाओं की ग्रामीणों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विवाद विहीन ग्राम बहरावडा तहसील कोलारस में दिनांक 05.07.2021 को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नायब तहसीलदार, डिप्टी रेंजर उपस्थित रहे। शिविर में ग्रामीणजन को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निराकरण हेतु जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा दिनांक 20.07.2021 को विवाद विहीन ग्रामों में नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु ऑनलाईन माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 के अंतर्गत चयनित विवाद विहीन ग्राम धुरा, आकोरिया, अरूष्टा एवं बिच्छु बाबड़ी में नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स को गांव में उत्पन्न होने वाले विवादों का आपसी सुलह–समझौते के द्वारा निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं यह भी जानकारी दी गई कि यदि आपसी समझौते के आधार पर विवाद का निराकरण न हो तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर में प्रीलिटिगेशन मीडिएशन के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु पक्षकारों को समझाईश दें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा दिनांक 19. 07.2021 को विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 के अंतर्गत चयनित विवाद विहीन ग्राम लगदुआ एवं ग्राम सुजानपुरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में ग्रामीणजन को मध्यस्थता, नेशनल लोक अदालत एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

Preserving Our Beautiful Blue Planet

The concept of 'Panch J" i.e. Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) was revisited keeping in view relevant schemes of NALSA are (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & NALSA (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015. Madhya Pradesh has a large tribal and agrarian population. This has been addressed by Legal Services Institutions at two levels

(a) Needs of those persons whose livelihood is dependent on the environment.

(b) Preserving, protecting and rejuvenating the environment essential to maintain the ecosystem.

Apart from organized tree plantation programmes in coordination with Officers and Officials of the government, DLSAs have taken on the responsibility to prepare monthly reports on activities while spreading the message of Consume less, compost food waste, choose reusable over single-use and creatively re-cycle.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

दिनांक 18.07.2021 के समाचार पत्र दैनिक भास्कर पर यह खबर प्रकाशित हुई कि ''विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम चपना के समीप से गुजरने वाली महानदी में मछुआरे डायनामाईट चलाकर मछलियां मारते है, जिससे आस–पास निवासरत लोगों के घरों की दीवारें दहल जाती है। घरों में जगह–जगह दरारे पड़ने लगी है, डायनामाईट की आवाज से बच्चें डर जाते है, नदी पर बने पुल के समीप भी डायनामाईट से विस्फोट किया जाता है जिससे पुल के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। अधिकांश ग्रामीण नदी के पानी का उपयोग पीने के लिये करते है, लगातार डायनामाईट फोड़े जाने से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, जिससे बीमारियों की संभावना बनी रहती है।''

मछली मारने मछुआरे नदी में फोड़ रहे डायनामाइट, दहल रही दीवारें

सिटी रिपोर्टर | कटनी

मछलियों के मारने के लिए मछुआरों द्वारा नदी में डायनामाइट फोड़ा जाता है जिससे ग्रामीण खासे परेशान हैं। मामला विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम चपना का है जहां गांव के समीप से गुजरने वाली महानदी में मछुआरे डायनामाइट चलाकर मछली मारते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डायनामाइट की आवाज से घरों की दीवारें भी दहल जाती हैं और जगह-जगह दरारें पड़ने लगी हैं। बच्चे भी डर जाते हैं। इसके अलावा लगातार डायनामाइट फोड़े जाने से नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। रामदयाल, रामकिशोर, साम प्रसाद, प्रवीण, रमेश प्रसाद दाहिया, रोहित पटेल, महेश केवट, आधार सिंह, नारायण सिंह, सुभाष सिंह, ओमकार पटेल, राजेश सिंह, सुदामा प्रसाद, दिनेश कुमार, दिलीप कुमार, लालमन यादव, सोनेलाल केवट, सुखनंदी कोल सहित आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी को लिखित शिकायत देकर नदी में डायनामाइट का प्रयोग रोकने की मांग की है।

पानी भी हो रहा प्रदूषित ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत

ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से बताया है कि कटनी और सुड्डी ग्राम के कुछ लोग नदी में मछली मारने आते हैं जिनके द्वारा प्रतिदिन डायनामाइट चलाया जाता है। इसी नदी के पानी का उपयोग अधिकांश ग्रामीण पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। ऐसे में बीमारियों की संभावना भी बनी रहती है। इसके अलावा नदी पर बने पुल के समीप भी डायनामाइट से विस्फोट किया जाता जिससे पुल के क्षतिग्रस्त होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है।

नदी में मछलियों के शिकार के लिये डायनामाईट जैसे घातक पदार्थ का उपयोग करना अत्यंत दुखद, आश्चर्यचकित तथा अमानवीयता का परिचय देना है, नदी में डायनामाईट के उपयोग से न केवल नदी में रह रहे जीव–जंतुओं का जीवन संकटमय होगा बल्कि नदी का पानी उपयोग करने वाले ग्रामीणों के जीवन पर भी घातक प्रभाव पड़ेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा उक्त खबर को गंभीरता से लिया गया एवं इस संबंध में सचिव द्वारा विजयराघवगढ क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को चपना स्थित महानदी में डायनामाईट का उपयोग कर मछलियों का शिकार करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मां नर्मदा के तटों पर संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा (म0प्र0) द्वारा दिनांक 09.07.2021 को मांधाता (औंकारेश्वर) स्थित नागर घाट व अभय घाट पर नगर परिषद मांधाता की स्वच्छता टीम व नागर घाट के स्वयंसेवी संगठन के समन्वय से नर्मदा स्वच्छता अभियान की मॉनीटरिंग का कार्य संपादित किया गय।

इस अवसर पर घाटों पर साफ–सफाई की गई, उपस्थित लोगों को घाटों पर कचरा न फेंकने व घाटो को साफ–सुथरा बनाये रखने हेतु सुझाव दिये गये। टीम द्वारा घाट पर बिखरी पूजन सामग्री एवं लावारिस वस्तुओं को हटाकर गंदगीमुक्त किया गया। इस दौरान स्नान एवं पूजा करने वाले श्रृद्धालुओं को नहाने के दौरान साबुन शैम्पू का प्रयोग नही करने व नर्मदा में कपड़े, जूते–चप्पल नहीं धोने व पूजन सामग्री विसर्जन न करने हेतु जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार द्वारा नर्मदा नदी तटों पर निरंतर स्वच्छता जागरूकता एवं विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिस क्रम में दिनांक 19.07.2021 को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित किये गये पैरालीगल वालेंटियर्स की टीम द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नर्मदा नदी के खलघाट पर स्वच्छता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, उक्त शिविर में उपस्थित लोगों को नर्मदा नदी साफ रखने, पूजन सामग्री विसर्जन न करने हेतु समझाईश दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा 16.07.2021 को जिला प्रशासन के समन्वय से ग्राम अमरहा में **पंच 'ज'** अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, पशु विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारीगण द्वारा ग्रामीणजन को पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के लाभ, पशुओं से रोजगार के अवसर, जैविक खेती की उपयोगिता, गोबर गैस, पोषण वाटिका, मुर्गी पालन संबंधी योजना, पशुओं की बीमारियों की पहचान व उनके उपचार एवं संबंधित विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

शिविर में उपस्थित जनसमूह को जन, जंगल, जमीन, जल, और जानवर के संबंध में संवेदनशील रहने तथा इनके संवर्धन एवं संरक्षण के संबंध में शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। उक्त शिविर से लगभग 70 ग्रामीणजन लाभांवित हुए।

इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के माध्यम से दिनांक 26.07.2021 को ग्राम पंचायत धुरवार के प्राथमिक विद्यालय रउसा टोला मेंवृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिमसें 127 पौधे रोपित किये गये। उक्त अवसर पर आमजन को वृक्षारोपण के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी।

DLSA DAMOH

DLSA CHHINDWARA

DLSA KATNI

DLSA RATLAM

DLSA NARSINGHPUR

DLSA MANDLA

DLSA RAISEN

DLSA SEONI

"The Environment is where we all meet, where we all have a mutual interest, it is the one thing all of us share."

~LADY BIRD JOHNSON

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा टीकाकरण शिविरों का आयोजन

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जानकारी दी तथा आमजन में वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को दूर कर लोगों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा दिनांक 01.07.2021 को एडीआर सेंटर, में प्रातः 11:00 बजे से ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु विशेष कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 25 ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों का टीकाकरण करवाया गया। उक्त कार्यक्रम में वैक्सीन लगवाने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडने के भ्रम को दूर करने का प्रयास किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 19.07.2021 को स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से विक्षिप्त आश्रय गृह एवं वृद्धाश्रम मंदसौर मे कोविड वैक्सीनेशन हेतु विशेष शिविर आयोजित किया गया। उक्त विशेष शिविर में विक्षिप्त गृह एवं वृद्धाश्रम में उपस्थित सभी विक्षिप्तों एवं वृद्धजनो का का टीकाकरण संपन्न करवाया गया।

DLSA ASHOKNAGAR

DLSA CHHINDWARA

DLSA DEWAS

DLSA DINDORI

DLSA MANDSAUR

DLSA NEEMUCH

DLSA RATLAM

DLSA SHAHDOL

DLSA SHEOPUR

DLSA SAGAR

Empowering Women through Awareness

The object of Awareness camps to promote women's sense of self-worth, to determine their own choices, and their rights for themselves and others.

Women's empowerment and promoting women's rights have emerged as a part of a major global movement and is continuing to break new ground in recent years

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा दिनांक 15.07.2021 को गोपाल महिला स्वाधार गृह, राजगढ में नालसा (तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत एक लघु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन ऑनलाईन माध्यम से किया। उक्त शिविर में तृतीय जिला न्यायाधीश द्वारा सम्मिलित महिलाओं को की विधिक समस्यायें सुनीं एवं उनका समाधान किया। शिविर में महिलाओं को उनके अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

दिनांक 15.07.21 को महिला स्वाधार गृह में निवासरत असहाय महिलाओं की विधिक समस्याओं के निराकरण व विधिक जानकारी प्रदान करते हुये श्रीमती अंजली पारे तृतीय अपर जिला न्यायाधीश जिला न्यायालय राजगढ़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा दिनांक 17.07.2021 को ग्राम पंचायत इंगोरिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, घरेलु हिंसा, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, महिला सुरक्षा के नियम के पालन के संबंध में महिलाओं को जागरुक किया गया। इसके साथ ही अपने नालसा, राज्य प्राधिकरण व शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया।

Glimpses of Legal Awareness Programmes for Women by DLSAs

DLSA ANUPPUR

DLSA BHIND

DLSA DHAR

DLSA CHHATARPUR

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवाएं) योजना, 2010 के अंतर्गत जिले में गठित कोर ग्रुप के सदस्यों के द्वारा नालसा योजना, वैश्विक महामारी और राष्ट्रीय आपदा घोषित कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जागरूक किये जाने हेतु दिनांक 24.07.2021 को जिला चिकित्सालय रायसेन में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में कोर ग्रुप के प्रभारी/प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा ने नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवाएं) योजना, 2010 के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बारिश के मौसम एवं बाढ़ आने की संभावनायें के मद्देनजर, कोर ग्रुप द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में बताया गया, साथ ही सभी को कोविड–19 वैक्सीन लगाये जाने हेतु आव्हान किया गया। वैक्सीन लगाये जाने के बाद भी मास्क लगाये जाने व सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने हेतु कहा गया। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ, लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत के बारे में भी बताया गया।

सिविल सर्जन रायसेन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार व प्रकोप को नियंत्रित करने के हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपायों का उचित रूप से पालन करने का आह्वान किया। उनके द्वारा उपस्थित सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाने तथा हाथों को उचित अंतराल पर साफ करने की भी अपील की। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर शासन के द्वारा चिकित्सालयों में उचित तैयारी/प्रबंधन के बारे में जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 15.07.2021 को ग्राम पंचायत हरदौली (बरगी नगर) स्थित सच्चा प्रयास समिति में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रामीणों को नालसा, राज्य प्राधिकरण तथा शासन की चलाये जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में उपस्थित प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री शाहिद मोहम्मद द्वारा मध्यस्थता योजना पर प्रकाश डाला। शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत एवं लीगल एड क्लीनिक की उपयोगिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूर वर्ग को खाद्यान्न के पैकेट भी वितरित किये गये तथा संस्था परिसर में फलदार वृक्षों का पौधारोपण भी किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा दिनांक 15.07. 2021 को ग्राम भटेरा के ग्राम पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा, सालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा किसी भी प्रकार की विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट के कार्यालय में संपर्क करने हेतु कहा गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2021 को ग्राम पंचायत नरवर जिला–उज्जैन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, महिला सुरक्षा के नियम के संबंध में लोगों को जागरुक किया गया साथ ही अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एवं शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविरों की झलकियां

DLSA ALIRAJPUR

DLSA ANUPPUR

DLSA BHIND

DLSA CHHATARPUR

DLSA BHIND DLSA SHAJAPUR DLSA SEONI

नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा दिनांक 16.07.2021 को नशा मुक्ति हेतु शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यशाला ग्रामीणजनों को नशा के दुष्प्रभावों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर ग्रामीणजन को नालसा, सालसा एवं शासन की कल्याणकारी योजनााओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिये विधिक सेवाएं) योजना के अंतर्गत दिनांक 02. 07.2021 को ऑनलाईन माध्यम से शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मिलित प्रतिभागीगण को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

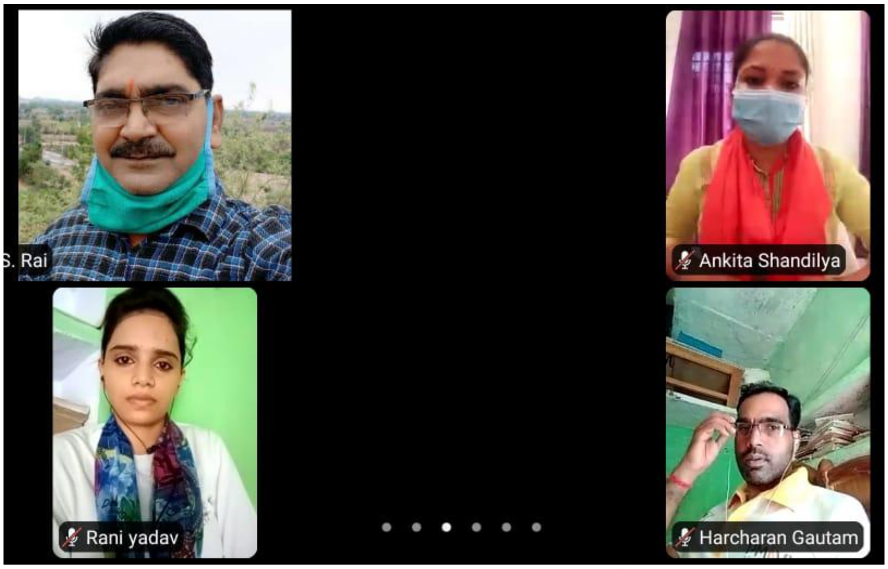

दिव्यांगता से सचलता की ओर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन

दिनांक 14 जुलाई 2021 को भारतीय कृत्रिम अंग एवं निर्माण निगम एलिम्को उज्जैन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग उज्जैन, दिव्यांग फाउण्डेशन उज्जैन, जिला दिव्यांग पुर्नवास केंद एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से 08 दिव्यांगजन को बैटरी चलित ट्राय–साईकिल का वितरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा यातायात विभाग के सहयोग से दिनांक 15.07.2021 को न्यायालय/कार्यालय के कर्मचारियों के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर एक विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजन किया गया, जिसमें यातायात के नियमों, मोटर व्हीकल एक्ट, बीमा एवं अन्य कानूनी जानकारी प्रदान की गई।

सफलता की कहानियां.......

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर

सहायक श्रमायुक्त कार्यालय परिसर में श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ अन्तर्गत संचालित श्रमिक विधिक सहायता केन्द्र में आवेदक सत्यनारायण पिता अंबाराम द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिमसें लेख किया गया कि आवेदक ट्रेजर फेन्टेसी कंपनी की साईट पर प्लंबर के रूप में कार्यरत था, कंपनी द्वारा उसे बिना वेतन भुगतान किये कार्य से निकाल दिया गया। उक्त केन्द्र में नियुक्त पीएलव्ही सुश्री अली द्वारा आवेदक की समस्या के संबंध में संबंधित फर्म के अधिकारियों से चर्चा की गई एवं आवेदक को अकारण वेतन का भुगतान नही करने के संबंध में विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई एवं यह अवगत कराया गया कि यदि वे आवेदक द्वारा किये गये कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर कंपनी के विरूद्व श्रम न्यायालय में प्रकरण संस्थित किया जावेगा। पैरालीगल वालेंटियर्स की समझाईस के फलस्वरूप फर्म ट्रेजर फेन्टेसी कंपनी द्वारा आवेदक श्री सत्यनारायण पिता अंबाराम को उसके द्वारा किये गये कार्य का पारिश्रमिक का भुगतान करने की सहमति बनी और उक्त कंपनी के द्वारा आवेदक को चैक के माध्यम से राशि रूपये **44,117/–** का भुगतान किया गया।

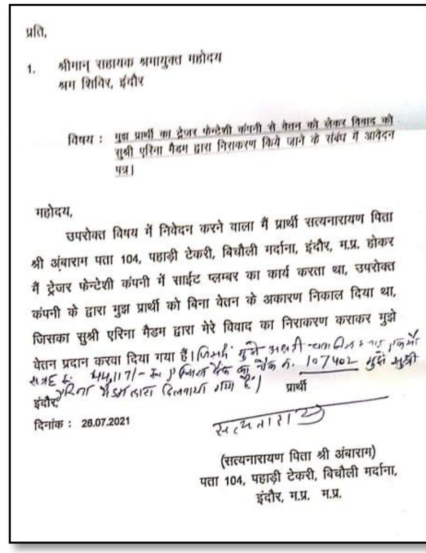

प्रति,

1. श्रीमान् सहायक श्रमायुक्त महोदय
   श्रम शिविर, इंदौर

विषय : मुझ प्रार्थी का ट्रेजर फेन्टेशी कंपनी से वेतन को लेकर विवाद को सुश्री एरिना मैडम द्वारा निराकरण किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन करने वाला मैं प्रार्थी सत्यनारायण पिता श्री अंबाराम पता 104, पहाड़ी टेकरी, बिचौली मर्दाना, इंदौर, म.प्र. होकर मैं ट्रेजर फेन्टेशी कंपनी में साईट प्लम्बर का कार्य करता था, उपरोक्त कंपनी के द्वारा मुझ प्रार्थी को बिना वेतन के अकारण निकाल दिया था, जिसका सुश्री एरिना मैडम द्वारा मेरे विवाद का निराकरण कराकर मुझे वेतन प्रदान करवा दिया गया है। [illegible] चैक नं. 107402 [illegible] 44,117/- [illegible]

इंदौर

प्रार्थी

दिनांक : 26.07.2021

(सत्यनारायण पिता श्री अंबाराम)
पता 104, पहाड़ी टेकरी, बिचौली मर्दाना,
इंदौर, म.प्र. म.प्र.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा स्थापित लीगल एड क्लीनिक जनपद पंचायत सोहागपुर में 05 आवेदन आए जिसमें से पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती विद्या तिवारी द्वारा एक ईलाज सहायता, दो गरीबी रेखा, एक आवास, एक बैगा जनजाति पेंशन के लिये सभी आवेदन संबंधित विभागों के लिये फार्म भरे गये। इनमें से एक वृद्धा पेंशन जो पंचायत धुरवार की संतु बैगा पति बुद्धु बैगा उम्र 60 वर्ष जो 01 वर्ष से बैगा जनजाति पेंशन के लिये महिला परेशान थी वृद्धा से जानकारी लेने के बाद पता चला कि सचिव धुरवार उसके आवेदन में हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे तब जनपद पंचायत से धुरवार सचिव से संपर्क कर पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती विद्या तिवारी द्वारा चर्चा करने के पश्चात् जनपद कार्यालय सचिव को बुलाया एवं महिला के आवेदन पर हस्ताक्षर करवाया और पावती दिला कर भोजन करवाया गया साथ ही वृद्धावस्ता के कारण पैदल चलना कठिन था, ऑटो रिक्शा के लिये रूपये 50/– देकर उसके निज निवास धुरवार भेजा गया।

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline~ 15100

Legal Issues	Non Legal Issues	Total
54	7	61

From Print Media.......

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-07-11 | Page- 2
ehitavada.com

MP first in country to use digital...

Chief Justice, Mohammad Rafiq inaugurating the Online Dispute Resolution Platform.

acceptable to both the parties. If the parties do not resolve their differences they have nothing to lose, not even their money, time, resource or self esteem as the process is completely confidential. With this initiative, we foresee a quantum difference in increasing accessibility to justice for people across barriers of physical distances. Bhopal, Jabalpur and Gwalior are the districts identified at the first instance and as we move on with the support of the duty holders and the acceptance by the general public, we can spread this project in all districts of the State.

On this occasion, Vivek Johri, Director General of Police, Pragya Richa Shrivastava, Addl. Director General (Crime Against Women), Swaraj Puri, Ex. DGP State of M.P., Rajendra Kumar Vani, Registrar General MP High Court, Member Secretary MPSLSA Giribala Singh, Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Arvind vastava, Deputy Secretary were also present.

नेशनल लोक अदालत में सवा तीन अरब से ज्यादा की अवार्ड राशि पारित

चंद मिनटों में 80 हजार प्रकरणों का आपसी सामंजस्य से हुआ निराकरण

न्यूज लेटर का विमोचन करते हाईकोर्ट के सीजे मो. रफीक

जिला अदालत प्रांगण में काउंटर पर जानकारी लेते आवेदक

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर
editor@peoplessamachar.co.in

समझौते के आधार पर निराकृत प्रकरण की बिंदुवार जानकारी

प्रकरणों का प्रकार	कुल प्रस्तुत प्रकरण	कुल निराकृत प्रकरण	कुल अवार्ड राशि
प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरण	305444	52427	66781508
लंबित प्रकरण (न्यायालयों द्वारा रैफर प्रकरण)	170537	27195	804212443
कुल योग:-	475981	79622	3270993951

मोटर दुर्घटना में साढ़े 12 लाख की क्षतिपूर्ति

कुटुम्ब न्यायालय में राजीनामा के बाद 21 मामले निपटे

बीएसएनएल में 6, सेंट्रल जेल में 4 प्रकरण निराकृत

अक्टूबर 2020 से अलग हुए दंपति साथ रहने तैयार

चैक बाउंस मामलों का हुआ निराकरण

जिला न्यायालय में 2,888 प्रकरण निराकृत

नेशनल लोक अदालत : प्रदेशभर में एक दिन में 79 हजार से अधिक मामले समझौते से निपटे

गिले-शिकवे मिटे, हताश जिंदगी में भरे नए रंग

पत्रिका सोशल प्राइड

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जबलपुर. दिवंगत ओमप्रकाश दुबे की पत्नी, उनके बच्चों और बुजुर्ग सासू मां की अंधकारमय जिंदगी में शनिवार को लम्बे अरसे के बाद खुशियों की रोशनी आई। राज्य स्तर पर आयोजित नेशनल अदालत के दौरान बीमा कम्पनी ने पति को दुर्घटना में खोने के एवज में वंदना के वकील को 19 लाख 90 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। इसी तरह नेशनल लोक अदालत ने कई ऐसे जोड़ों के चेहरों पर भी मुस्कान वापस लौटाई, जो जरा सी तकरार पर एक दूजे से जुदा थे। प्रदेशभर में इस दौरान 79 हजार से अधिक मामलों का समझौते से निराकरण हुआ।

ओमप्रकाश दुबे वन विभाग में फारेस्ट गार्ड थे। 2019 में उनकी मोटरसाइकिल एक कार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके चलते दुबे की मौत हो गई। न्यू इंडिया अस्योरेन्स कम्पनी के अधिवक्ता सोम मिश्रा ने बताया कि इस पर वंदना ने बीमा कम्पनी के खिलाफ 35 लाख रुपए मुआवजे का केस दायर किया था। शनिवार को दोनों पक्षों के बीच 19 लाख 90 हजार रुपए की राशि पर समझौता हो गया।

जिला न्यायालय में निपटे 2888 प्रकरण

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय जबलपुर, तहसील न्यायालय सिहोरा एवं पाटन तथा कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल 2888 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें कुल 35 करोड़ 83 लाख 55 हजार 038 रुपए का अवार्ड पारित हुआ। प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 67 खंडपीठों का गठन किया गया था। इस दौरान न्यायालयों में लंबित 1357 एवं 1531 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

चेक बाउंस के मामलों का निपटारा

लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी मनीष सिंह ठाकुर के समक्ष बीएसएनएल कम्पनी के 06 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लगभग 24600 रुपए वसूले गए। नीलिमा देवदत्त की खंडपीठ में 15 लाख के चेक बाउंस का मामला था। खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्यों के प्रयास से प्रकरण मे समझौता से निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक एनआई एक्ट के मामलों का निराकरण किया गया।

बदलाव को किया स्वीकार

कुटुंब न्यायालय ने भी शनिवार को पति-पत्नि के मध्य आपसी राजीनामा, स्वेच्छापूर्वक किए गये प्रयासों तथा न्यायालय की समझाइश से कई जोड़ों को फिर से एक कर दिया। लोक अदालत के दौरान ही न्यायालय से पक्षकारों को एक दूसरे से हार पहनवाकर साथ-साथ रहने के लिए रवाना किया गया। कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर के कुल 21 मामलों में राजीनामा की कार्यवाही निष्पादित की गई। कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरणों के निराकरण के लिए अमिताभ मिश्रा, विधि सक्सेना एवं शिवकांत पांडे प्रधान न्यायाधीशगण की कुल तीन खंडपीठ बनाई गई थीं।

बुजुर्ग को मिले 12.5 लाख : मोटर दुर्घटना में पत्नी की मृत्यु होने से परेशान वृद्ध भीकमलाल बीमार थे। दोनों पक्षों को समझाने के बाद राजीनामा हो गया। भीकमकाल का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा जब उन्हें लगभग 12,50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि मिली।

एक साल का वियोग पल भर में दूर : अंजली शाह जेएमएफसी, जबलपुर की कोर्ट में धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के तहत अक्टूबर 2020 से मामला लम्बित था। पति-पत्नी एक साल से अलग रहते थे। उनका 8 वर्ष का पुत्र है। लोक अदालत में दोनों को बुलाया गया था। खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्यों के प्रयास से दोनों साथ एक साथ घर गए।

आपसी सामंजस्य से हुआ मामलों का निराकरण

इतने प्रकरण निराकृत

ये रहे उपस्थित

लोक अदालत में बकायादारों ने संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराकर अधिभार राशि में छूट का लाभ लिया

सिंघम रिपोर्टर ❒ रतलाम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 10 जुलाई शनिवार को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत में नागरिकों ने संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) राशि में छूट का लाभ लिया। नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय में आयोजित संपत्तिकर, जलकर शिविर के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयोजित किये गये शिविर का अवलोकन निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त विकास सोलंकी, प्रभारी कार्यपालन यंत्री सत्यप्रकाश आचार्य, एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह आदि के साथ कर बकाया राशि जमा करने व आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आज नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय व जलकर काउन्टर के बाहर आयोजित शिविर व नगर निगम कार्यालय में बकायादारों ने 220 प्रकरणों के तहत संपत्तिकर के 35 लाख रूपये तथा 516 प्रकरणों के तहत जलप्रदाय के 12 लाख 14 हजार 8 सौ 40 रूपये कुल राशि 45 लाख 14 हजार 8 सौ 40 रूपये जमा कराकर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट का लाभ लिया। आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के अधिक से अधिक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के तहत जिला न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष शिविर में 89 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये।

---

mail.in | सागर/रायसेन | भोपाल, रविवार 11 जु

जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत

लोक अदालत में आपसी समझौते से हुई सुलाह 379 प्रकरणों हुआ निपटारा

रायसेन। कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालयों में लंबित प्रकरणें का निराकरण के लिए मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। रायसेन जिला सत्र न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओंकार नाथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किए जाने के पश्चात लंबित एवं प्रीलिटिगेशन संबंधी प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी, विद्युत, जलकर, सम्पत्तिकर सहित अन्य प्रकरणों का आपसी राजीनामे से निराकरण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा के 24 प्रकरण में 7012000 रूपए, जिनमें 61 लोग लाभावित हुए।

इसी तरह चैक बाउंस के 183 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें समझौता राशि 45711323 रूपए रही एवं इसमें 329 लोग लाभान्वित हुए। वहीं वैवाहिक प्रकरण में भी आपसी राजीनाम से सुलाह हुई और 136 लोग लाभान्वित हुए और समझौता राशि 555000 रही। इसी तरह सिविल प्रकरण 17 समझौता राशि 15602600 रही जिनमें 72 लोग लाभान्वित हुए। इसके अलावा सबसे ज्यादा विद्युत प्रकरणों की बात की जा जाए तो 58 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिनमें 1194056 राशि का समझौता हुआ। लोक अदालत में कुल 379 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें कुल 70074979 रूपए का समझौत हुआ एवं 744 लोग लाभान्वित हुए।

Date: 11/07/2021, Page: 2, City: Bhopal
URL: epaper.rashtriyahindimail.in
राष्ट्रीय हिन्दी मेल

भावनाओं को गहराई से समझा तो फिर मजबूत हो गया रिश्ता

नेशनल लोक अदालत ● 21 मामलों में राजीनामा की प्रक्रिया मौके पर पूर्ण कराई गई, मनोवैज्ञानिक समझाइश दी गई, टूटने से बच गए कई परिवार

79 हजार से अधिक मामले समझाइश से हुए निराकृत, फिर बना कीर्तिमान

वृद्ध भीकमलाल को मिले 12 लाख 50 हजार, अब हो सकेगा बेहतर इलाज

पुत्र की मौत पर 64 लाख का मुआवजा, फिर मिले 21 जोड़े

प्रदेश की नेशनल लोक अदालत में 79 हजार 622 प्रकरण निराकृत

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर. प्रदेश में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इकलौते पुत्र की मौत पर पिता को 64 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया, वहीं जबलपुर की जिला अदालत में अलग-अलग रह रहे 21 जोड़े फिर से पति-पत्नी के रूप में रहने के लिए राजी हो गए। प्रदेश की लोक अदालत में 79 हजार 622 प्रकरण का निराकरण किया गया, जिनमें 3 अरब 27 करोड़ 9 लाख 93 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए गए। हाईकोर्ट की लोक अदालत में जस्टिस अरुण कुमार शर्मा और अधिवक्ता अंशुमन सिंह की खंडपीठ ने इकलौते पुत्र को खोने का दर्द समझते हुए पिता को 64 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का अवार्ड पारित किया। निचली अदालत ने इस मामले में 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

अलग-अलग आए, एक साथ गए- जिला कुटुम्ब न्यायालय की लोक अदालत में 21 जोड़े अलग-अलग पहुँचे थे, लेकिन समझाइश के बाद एक साथ घर जाने के लिए राजी हो गए। इन प्रकरणों का निराकरण न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा, विधि सक्सेना और शिवकांत पांडे की खंडपीठ में हुआ।

जिला अदालत में 2888 प्रकरण निराकृत- जिला अदालत जबलपुर में 2888 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इनमें 35 करोड़ 83 लाख 55 हजार 038 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।

चैक बाउंस के 15 लाख के मामले में समझौता- न्यायाधीश नीलिमा देवदत्त की लोक अदालत में आपसी समझौते के जरिए 15 लाख के चैक बाउंस का मामला निराकृत किया गया।

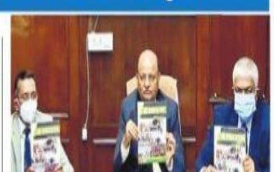

वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

लोक अदालत और विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का ई-शुभारंभ- प्रदेश में नेशनल लोक अदालत और ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का ई-शुभारंभ मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के मुख्य संरक्षक एवं चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने किया। चीफ जस्टिस ने सालसा के न्यूज लेटर का भी विमोचन किया। इस मौके पर सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष व हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। इस दौरान सालसा की सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह ने लोक अदालत में निराकृत किए गए मामलों की जानकारी दी।

निगम के खजाने में रौनक

हमारे संवाददाता, जबलपुर. नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 1 करोड़ 19 लाख रुपयों से अधिक का टैक्स जमा हुआ। यह रकम मार्च माह के बाद सर्वाधिक जमा राशि है। इससे बड़े दिनों बाद नगर निगम के खजाने में रौनक लौटने की बात अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह अलग बात है कि खुद निगम के ही छोटे अधिकारियों ने लोक अदालत के लिए कोई मेहनत नहीं की वरना परिणाम इससे भी बेहतर होते। बताया जाता है कि सम्पत्तिकर 1 करोड़ 8 लाख रुपए, जबकि 8 लाख जलशुल्क के और बाकी की राशि अन्य मद में जमा हुई। करीब 1300 करदाताओं ने लोक अदालत का लाभ उठाया।

कई जोन अधिकारी लापरवाह हुए- बताया जाता है कि कई जोन अधिकारी इन दिनों पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। जोन क्रमांक 14 में तो एक पखवाड़े से जोन अधिकारी ही नहीं है। जोन क्रमांक 1 के जोन अधिकारी शाम को कार्यालय पहुँचे।

Sun, 11 July 2021
दैनिक भास्कर https://epaper.bhaskarhindi.com/c/61723251

दतिया

नेशनल लोक अदालत • कुटुंब न्यायालय में निपटे 18 प्रकरण, 3 साल से अलग रह रहे थे दंपती

जज ने कहा- चार साल की बच्ची है इसके भविष्य के बारे में सोचो, एडजस्ट करो... हो गया राजीनामा

भास्कर संवाददाता | दतिया

ग्राम दावरभाट निवासी अनीता और ग्राम बनवास निवासी मजबूत सिंह परिहार का छह साल पहले विवाह हुआ और विवाह के बाद एक-डेढ़ साल दोनों के बीच तालमेल ठीक रहा। इसी बीच बच्ची का भी जन्म हो गया। बच्ची के जन्म के कुछ दिनों बाद अनीता और मजबूत सिंह के रिश्तों में खटास आने लगी। हालत इतने ज्यादा खराब हो गए कि अक्टूबर 2018 में अनीता बच्ची को लेकर अपने मायके दावरभाट चली गई। अनीता ने 4 जनवरी 2019 को न्यायालय में प्रकरण दायर कर दिया। ढाई साल तक न्यायालय में प्रकरण चला। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एचके कौशिक ने दोनों को शनिवार को नेशनल लोक अदालत में बुलाया। यहां श्री कौशिक और शासकीय अधिवक्ता मुकेश गुप्ता ने अनीता व मजबूत सिंह को आमने सामने बैठाकर कहा- आपकी चार साल की बच्ची है, अब आपको अपने लिए कम इस बच्ची के भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना है। पारिवारिक जीवन में दोनों को एडजस्ट करना होता है तभी घर चलता है। जज और अभिभाषक की समझाइश से दोनों का राजीनामा हो गया।

नेशनल लोक अदालत में नवंबर 2019 से न्यायालय में चल रहा गीता बनाम दिनेश अहिरवार निवासी लाला का ताल का भरण पोषण केस, नीतू रायकवार निवासी सीतासागर और विजय ढीमर निवासी दिनारा रोड का दहेज एक्ट का प्रकरण, रचना बाल्मीक और अरुण कुमार बाल्मीक निवासी झांसी के बीच सुलह कराकर राजीनामा कराया। कुटुंब न्यायालय में कुल 18 प्रकरणों का जज और एडवोकेट की समझाइश से निपटारा हुआ। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी जिला न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया।

17 खंडपीठों पर 347 प्रकरण निपटेः जिला न्यायालय समेत सेंवढ़ा और भांडेर में नेशनल लोक अदालत के लिए 17 खंडपीठों का गठन कर 10752 प्रीलिटिगेशन और 1200 लंबित प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए थे। जिसमें से 168 प्रीलिटिगेशन का निराकरण कर 46 लाख 13 हजार 563 रुपए समझौता राशि जमा हुई। जबकि न्यायालय में लंबित 1200 में से 179 का निराकरण कर 1 करोड़ 81 लाख 85 हजार 862 रुपए समझौता राशि जमा की गई।

भांडेर में आपसी सहमति से निपटे 500 से अधिक मामले

तहसील न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया गया। अलग-अलग कारण से एक दूसरे से अलग रह रहे पति पत्नी में सुलह कराई गई और कई विभागों के लंबित मामलों का निराकरण करके करीब 500 अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है।

सरकार के कुशल नेतृत्व ने जल्दी पाया महामारी पर काबू: गुप्ता

भास्कर संवाददाता | दतिया

महामारी के इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व काम आया। अन्य देशों की तुलना में हम कम समय में कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने में सफल रहे। लगातार घटते मरीज और सुदृढ़ होता देश का स्वास्थ्य ढांचा संभावित तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए तैयार है। आमजन की सतर्कता से हम महामारी को रोक सकते हैं। इसके लिए भाजपा के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह जन-जन तक सरकार द्वारा जारी गाइड लाइंस का पालन कराएं। यह विचार मण्डल सेवढ़ा कार्यालय (बलवंत वाटिका) पर आयोजित मण्डल सेमिनार के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राकेश गुप्ता ने व्यक्त किए।

दैनिक चित्रकूट ज्योति | भोपाल, रविवार 11 जुलाई 2021 www.dainikchitrakootjyoti.com/epaper

नेशनल लोक अदालत में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से 6 ग्रामीणों ने चांदी पर लिया ऋण चुकाकर 10 किलो चांदी प्राप्त की

पति-पत्नी का सुलझा विवाद, लोक अदालत में 35 हितग्राहियों के बनाए गए भारत आयुष्मान कार्ड

किस विभाग की क्या स्थिति रही

ऋण चुकाकर प्राप्त की 10 किलो चांदी

पेटलावद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया

आपसी समझौते से हुआ निराकरण, लाखों की सेटलमेंट राशि से पक्षकारों को हुआ लाभ

भास्कर संवाददाता | पेटलावद

शनिवार को यहां नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर पेटलावद न्यायालय में अपर जिला जज जैसी राठौड़, सिविल जज वर्ग 1 संजीव कटारे, सिविल जज वर्ग 2 आरके बर्मन ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की।

शुभारंभ अवसर पर पेटलावद अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनोद पुरोहित, सचिव बलदेव सिंह राठौड़ सहित सभी अधिवक्तागण और न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। इसके बाद न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में अपर जिला जज जैसी राठौर के न्यायालय में मोटर व्हीकल एक्ट के 16, दांडिक की 2 अपीलों सहित 18 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इससे 95 लोग लाभान्वित हुए। वहीं 86 लाख 95 हजार की सेटलमेंट राशि का लाभ दिया गया। वहीं न्यायाधीश संजीव कटारे के न्यायालय में दांडिक के 3, एनआईए के 6, 125 के 24, सिविल के 6 सहित कुल 39 प्रकरणों का निराकरण कर 103 लोगों को लाभान्वित करते हुए 39 लाख 35 हजार 432 रुपए की सेटलमेंट राशि का लाभ दिया गया। न्यायाधीश आरके बर्मन के न्यायालय में सिविल एवं दांडिक के कुल 18 प्रकरण, आरसीटी के 2 एवं धारा 138 के 4 प्रकरणों में समझौता कराते हुए 7 लाख 5 हजार 700 रुपए की राशि से लाभान्वित किया गया।

पेटलावद. प्रकरण का निराकरण होने पर पक्षकार को पौधा भेंट किया गया।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में हुआ।

548 प्रकरण सुलझे, एक करोड़ 16 लाख 43 हजार 885 रुपए की वसूली

भास्कर संवाददाता | गंजबासौदा

न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत शनिवार को 548 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके साथ ही समझौता के माध्यम से 1करोड़ 16 लाख 43 हजार 885 रुपए वसूल किए गए। तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष न्यायाधीश नीलम मिश्रा ने बताया बैंक प्रीलिटिगेशन के 1449 रखी गए। इनमें 38 प्रकरण निराकृत हुए । इनमें 26 लाख 99 हजार 895 रुपए समझौता राशि प्राप्त हुई। इसी प्रकार विद्युत से संबंधित 1200 रखे गए। इनमें 155 प्रकरण निर्वाचित हुए इसमें 4 लाख 34 हजार रुपए प्राप्त हुए। इसी प्रकार नगरपालिका संबंधित 700 प्रकरणों में से 155 का निराकरण हुआ। इनसे 3 लाख 74 हजार 392 रुपए जमा हुए।

जबकि दूरसंचार विभाग के 170 प्रकरणों में से मात्र तीन का निराकरण किया गया इसमें 7058 रुपए समझौता राशि मिली। लोक अदालत में कुल 1745 प्रकाश में से 278 का निराकरण हुआ। इस मौके पर प्रथम सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा द्वितीय जिला न्यायाधीश नीलम मिश्रा तृतीय जिला न्यायाधीश सतीश चंद मालवीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मीनल श्रीवास्तव के अतिरिक्त न्यायाधीश राकेश शर्मा सपना शर्मा राहुल निरंकारी मौजूद थे।

लोक अदालत में नपं ने 36467 रुपए की वसूली

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

खिरकिया. शनिवार को वर्ष की पहले नेशनल लोक अदालत का आयोजन स्थानीय न्यायालय परिसर में किया गया। जिसमें न्यायाधीश कला भम्मरकर की उपस्थिति में प्रकरणों का निराकरण किया गया। नगर परिषद द्वारा जलकर एवं संपत्तिकर 11 लंबित प्रकरणों में 36467 रुपए की वसूली की गई।

नपं की ओर से सीएमओ एआर सांवरे, राजस्व प्रभारी नरेश बावनिया, संजय अग्रवाल, राजेन्द्र टेमले, तुलसीराममीणा,रविओनकर,राजेन्द्र ठाकुर, महेश सोलंकी ने उपस्थित रहकर प्रकरणों का निराकरण करते हुए राजस्व वसूली। इसी तरह अन्य प्रकरणों में भी निराकरण करते हुए राजस्व वसूली की गई। वहीं कुछ अपराधिक प्रकरणों का निराकरण भी किया गया।

न तुम हारे, न हम जीते: आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर किया गया प्रकरणों का निराकर

लोक अदालत में 1823 प्रकरणों का निराकर

हरिभूमि न्यूज

लोक अदालत से कोर्ट की पेंडेंसी कम होगी: प्रिंसिपल जिला न्यायाधी

कब के बिछड़े, लोक अदालत में आकर मिले दंपति

परिवार परामर्श में सुलह

नेशनल लोक अदालत • 1086 प्रकरणों में 54 का निराकरण, 5.21 लाख की राशि वसूल

मियां-बीवी का पांच साल से चल रहा था मुकदमा, कोर्ट ने हार पहनाकर किया विदा

भास्कर संवाददाता | सैलाना

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगाई। बैंकों की रिकवरी के 1086 प्रकरणों में से 54 का मौके पर निराकरण किया। इसमें 5 लाख 21 हजार 386 रुपए की वसूली की गई।

जिला व सत्र न्यायाधीश उमेश गुप्ता के मार्गदर्शन में हुई नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीश सपना भारती कतरोलिया की खंड पीठ में 5 आपराधिक और 2 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ। न्यायाधीश गजेंद्र रावत की खंडपीठ में 1 सिविल व 12 आपराधिक प्रकरण हल किए। मांगीलाल निवासी ग्राम बादीयाका माल (सरवन) व पारुबाई निवासी ग्राम अलकाखेड़ा (सरवन) दोनों पति-पत्नी होकर 5 साल से चल रहे मुकदमे का निराकरण किया। दोनों एक साथ रहने की हामी भरने के बाद न्यायालय में पुष्प हार पहनाकर एक साथ घर के लिए विदा किया। इसी प्रकार लेनदेन के प्रकरण में प्रेमशंकर-पूनमचंद का समझौता हो गया और प्रकरण का निराकरण हुआ।

न्यायाधीश सपना भारती कतरोलिया ने बताया अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का भी निराकरण किया। न्यायाधीश गजेंद्र रावत ने बताया राजीनामा होने पर शासन द्वारा दी छूट का लाभ भी पक्षकारों को दिया। न्यायाधीश श्रेया शर्मा, डीएसपी शीला सुराणा, सब इंस्पेक्टर आशीष पाल, एसआई मनोज पाटीदार, रीडर निर्मल कसेरा, नाजिर अनिल बामनिया व अभिभाषक गण मौजूद रहे।

प्रकरण समझौता करते हुए प्रार्थी-प्रति प्रार्थी व न्यायाधीश सहित अन्य।

दस करोड़ पांच लाख इक्यावन हजार इक्यासी रुपए के अवार्ड पारित कर नवीन कीर्तिमान स्थापित किया गया

मनमुटाव से दूर हुए, समझाईश से फिर मिल गए टीना और ईश्वर

पत्रिका कार्यालय मंदसौर

टीना का ईश्वर से विवाह वर्ष 2015 में हुआ, इनके एक सन्तान भी है। इसके बाद घरेलू विवाद को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। इसी विवाद को लेकर टीना ने अभिभाषक सैलानी अब्दुल कादर मंसुरी से सम्पर्क किया गया और फिर घरेलू हिंसा का प्रकरण पेश किया। पति-पत्नी के बीच हुआ मनमुटाव आज लोक अदालत के अवसर पर न्यायाधीशों और अभिभाषकों की समझाईश के बाद खत्म हो गया और ईश्वर और टीना सभी विवादों को भूलकर फिर से साथ रहने को राजी हो गए। आज ईश्वर की तामील होने पर ईश्वर की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए और आपसी राजीनामें की चर्चा हुई और दोनों पति-पत्नि को न्यायालय से कुछ दिनों के लिए साथ रहने हेतु भेजा था। दोनों आपस में परिवारजनों के साथ अच्छे रहे जिनको समझाइश प्रधान न्यायाधीश जिला जज न्यायाधीश

विजयकुमार पाण्डे और विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ईसा खान, अपर जिला न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंजुसिंह एवं सैलानी अब्दुल कादर मंसूरी, अरविन्द सारस्वत एवं पुरूषोत्तम चंदवानी (पप्पु चंदवानी) द्वारा आज लोक अदालत में अच्छे से समझाइश दी गई और हार फूलमाला पहनाकर पति-पत्नि का मिलन करवाया।

लोक अदालतः बिखरने से बचाई रिश्तों के टूटते मोतियों की मालाएं

राजीनामा योग्य मामलों में करवाया गया समझौता, सैकड़ों प्रकरण निराकृत

हरिभूमि न्यूज ▶▶राजगढ़

समझौता योग्य मामलों में आपसी सहमति एवं राजनामे से न्यायालयीन प्रकरणों के खात्मे के लिए लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को जिला सहित तहसील न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इन अदालतों में जहां सालों से लंबित सुलह योग्य मामले निराकृत करवाए गए, वहीं छोटे-मोटे घरैलू झगड़ों से जुड़े मामलों में भी सुलह-समझौता करवाते हुए परिवार माला के टूटते मोतियों को बिखरने से बचाया गया। मुख्यालय स्थित परिवार परामर्ष केंद्र में बनाई गई खंडपीठ क्रमांक-5 में दंपत्तियों के छोटे-मोटे घरैलू झगड़ों से जुड़े मामलों में परिवारों का विघटन होने से बचाया।

पूजन-अर्चन से की शुरुआत

इसके पूर्व जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश प्रमात कुमार मिश्रा द्वारा पूजन-अर्चन करते हुए विधिवत रूप से लोक अदालत की शुरूआत करवाई गई। विधिक सेवा प्राधिकरण प्रधाधिकारी फारुख सिद्धकी ने बताया कि अदालतों में पारिवारिक मामलो सहित विद्युत कंपनी, नगरीय निकायों के जलकर, संपत्तिकर, बीमा कंपनियों के क्लेम मामले, चेक बाउन्स जैसे मामलों में भी सहमति एवं समझौता करवाकर मामलों का खात्मा करवाया गया।

सुलह से सुलझे 837 प्रकरण, 2 करोड़ 48 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए

- कोरोना महामारी के कारण 6 माह बाद किया गया था आयोजन

भास्कर संवाददाता | टीकमगढ़

विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जिला

टीकमगढ़ | शनिवार को लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए लोग पहुंचे।

सहित न्यायालयों में लंबित कुल 387 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिनमें कुल राशि 1 करोड़ 52 लाख 84 हजार 325 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही नगर पालिका के जलकर, संपत्ति कर, बैंक वसूली के प्री-लिटिगेशन के कुल 450 प्रकरणों का निराकरण

राशि 4 करोड़ से अधिक राशि के अवार्ड पारित

सत्ता सुधार, हरदा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में ऑनलाईन-ऑफलाईन नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय खिरकिया तथा टिमरनी जिला हरदा में कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये किया गया। शुभारंभ श्रीमती चन्द्रा द्वारा जिला मध्यस्थता केंद्र एडीआर सेंटर में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। कलेक्टर संजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल सभी

एनआईएक्ट के 65 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 2 करोड़ 67 लाख 73 हजार 500 समझौता राशि के आदेश पारित हुये। सिविल प्रकरणों में 19 प्रकरणों का निराकरण हुआ रू

विद्युत विभाग के कुल 476 प्रकरणों निराकरण हुआ तथा रुपए 44 लाख हजार 459 समझौता राशि के रू वसूल हुई। प्रीलिटिगेशन प्रकरण के में कुल 10 प्रकरणों को रखे गये

नेशनल लोक अदालत- आपसी सामांजस्य से विवादों का कराया समाधान

कोरोना संक्रमण से राहत के बीच लोक अदालत से मिली पक्षकारों को राहत

मध्यस्थता से मिले शिकवे भूल दूर हुए दंपति

राष्ट्रीय लोक अदालत : 1581 प्रकरणों का हुआ निराकरण

10 करोड़ 55 लाख की समझौता राशि मंजूर

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1581 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 10 करोड़ 55 लाख रुपए की समझौता राशि मंजूर की गई। 44 खण्डपीठों में की गई विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा अरुण कुमार सिंह ने जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में दीप प्रज्जवलन कर किया।

स्टार समाचार | रीवा

उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही हमारी सामाजिक धारणा का ही भाग है। पुराने समय में पंचों के माध्यम से विवाद निपटाने की व्यवस्था थी। ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा चौपाल में बैठकर आपसी समझाइश से राजीनामा कराया जाता था। विवादों के त्वरित निवारण के लिये लोक अदालत एक मजबूत मंच है। लोक अदालत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोगों की अदालत जहां विवाद के दोनों पक्षकार मिल बैठकर अपनी सहमति व राजीनामें से स्वयं अपने विवाद का समाधान करते हैं। पक्षकारों को इसका सीधा लाभ मिलता है और दीवानी प्रकरणों में जो कोर्ट फीस लगाई जाती हैं, वह पक्षकरों को वापस कर दी जाती हैं। प्रकरण की अपील नहीं होती और प्रकरण उसी दिन समाप्त हो जाता है। यह आयोजन राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। शुभारंभ अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय वाचस्पति मिश्रा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया, अपर जिला न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़, मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ के सदस्य अखंड प्रताप सिंह व जिला अधिवक्ता संघ के सचिव कमलेन्द्र पाण्डेय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रभारी उमेश पांडव विशेष न्यायाधीश, गिरीश दीक्षित अपर जिला न्यायाधीश, संजीव सिंघल अपर न्यायाधीश, राजेन्द्र शर्मा अपर जिला न्यायाधीश, नरेन्द्र कुमार गुप्ता अपर जिला न्यायाधीश, मुकेश यादव अपर जिला न्यायाधीश, सुबोध कुमार विश्वकर्मा अपर जिला न्यायाधीश, उपेन्द्र देशवाल अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला

44 खण्डपीठों में की गई सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत में 42 दाण्डिक प्रकरणों में तीन लाख 65 हजार रुपए, चेक बाउंस के 120 प्रकरणों में दो करोड़ 74 लाख 13 हजार 728 रुपए की समझौता राशि मंजूर की गई। लोक अदालत में मोटर क्लेम प्रकरण के 234 मामलों में 5 करोड़ 74 लाख 26 हजार रुपए, सिविल के 38 मामलों में 17 लाख 92 हजार 480 रुपए तथा पारिवारिक विवाद के 16 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 5 लाख रुपए की समझौता राशि मंजूर की गई। बिजली विभाग से जुड़े 174 प्रकरणों में 51 लाख 87 हजार 546 रुपए, श्रम के 7 प्रकरणों में 36 लाख 43 हजार 280 रुपए, विद्युत प्रिलिटिजेशन के 115 मामलों में 15 लाख 2 हजार 999 रुपए तथा बैंक के प्रिलिटिजेशन के 472 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 63 लाख 63 हजार 740 रुपए की समझौता राशि मंजूर की गई। जल कर के 236 प्रकरणों में 5 लाख 91 हजार 67 रुपए तथा अन्य प्रिलिटिगेशन के 103 प्रकरणों में 67 हजार 49 रुपए एवं अन्य लंबित 24 प्रकरणों में 6 लाख 95 हजार 604 रुपए की समझौता राशि मंजूर की गई।

मां को भरण पोषण की राशि देने राजी हुए पुत्र

नेशनल लोक अदालत में कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने लंबे समय से चल रहे भरण-पोषण के प्रकरण का आपसी सुलह से समझौता कराया। इसमें 81 वर्षीय वृद्ध महिला ने अपने पुत्रों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया था। पीठासीन न्यायाधीश की समझाइश के बाद वृद्ध महिला के पुत्र के दोनों पुत्रों ने हर माह अपनी माता को भरण-पोषण की राशि देने के लिये सहमत हुये। आपसी सुलह से प्रकरण का निराकरण किया गया।

न्यायाधीश मुकेश यादव, योगीराज पांडे मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तथा न्यायाधीशगण महेन्द्र कुमार उइके, शशांक सिंह, सुश्री रीतिका शर्मा, सुश्री श्वेता परते, सुश्री कंचन चौकसे, सुश्री रेशमा खातून, सुश्री ऋचा सिंह, अब्दुल अजहर अंसारी, सुश्री आफरीन युसुफजई, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा उपस्थित रहे।

छिंदवाड़ा, रविवार, 11 जुलाई 2021, 15

नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों प्रकरणों का निपटारा

पारिवारिक मामलों में भी हुई सुलह, डेढ़ करोड़ से अधिक प्राप्त हुई वसूली

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बीपी शर्मा के कुशल मार्गदर्शन, अपर जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके गोयल के निर्देशन में शनिवार को जिले के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं डेढ़ करोड़ से भी अधिक वसूली प्राप्त हुई है। अदालत में जहां समझौतों के साथ कई मामलों का पटाक्षेप हुआ तो वहीं पारिवारिक मामलों में भी समझौता कराया गया। कई दंपतियों के बीच सुलह हुई और वे हंसी-खुशी अपने घर के लिए रवाना हुए...

लोक अदालत में हुई सुलह, खुशी-खुशी घर लौटे दंपती

पांढुर्ना. स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें वर्ष 2018 से सेशन न्यायालय में चल रहे एक घरेलू हिंसा के प्रकरण में सुलह कराई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पति-पत्नी के मध्य आपसी विवाद का निराकरण कर समझौता कराया और दंपति को एक पौधा भेंट किया।

पति पत्नी ने एक-दूसरे को पहनाई फूलमाला

अधिवक्ता संघ ने किया आंदोलन

परासिया. अतिरिक्त सत्र न्यायालय की पद स्थापना नहीं होने के विरोध में व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का अधिवक्ता संघ ने अंदोलन किया। इस दौरान जो पक्षकार न्यायालय पहुंचे, वे अधिवक्ताओं को आंदोलन करता देखकर बाहर से ही वापस हो गए। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्याम कुमार साहू, सचिव अरुण यदुवंशी और उपाध्यक्ष स्नेहलता राय ने बताया कि कई वर्षों से परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्वीकृत है, किन्तु लम्बी अवधि बीतने

चौरई में 53 प्रकरणों का निराकरण

चौरई. शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन अपर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चौरई में किया गया। लोक अदालत में एडीजे न्यायाधीश प्रदीप कुमार बरकड़े, पुष्पा तिलगाम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रुपेन्द्र सिंह मड़ावी अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, तहसील अधिवक्ता संघ चौरई अध्यक्ष एसआर वर्मा, एसडीओपी पीएस वालरे, थाना प्रभारी चौरई शशि विश्वकर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण मर्सकोले व उमेश पटेल की उपस्थिति में किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन 3 खण्डपीठ गठित की गई।

सौसर में 115 प्रकरणों का हुआ निराकरण

सहमति से बनी बात, समझौते पर पौधे का पुरस्कार

नेशनल लोक अदालत : 11 खंडपीठों में हुई सुनवाई, न्यायालय में लंबित 167 प्रकरणों का किया निराकरण

भिंड

ग्वालियर, र

मतभेद भुलाकर पति-पत्नी ने थामा एक- दूजे का हाथ

लोक अदालत में पारिवारिक विवाद में समझौता होने पर साथ खड़े दंपत्ति।

नेशनल लोक अदालत में 20 जोड़े फिर हुए एक

भास्कर संवाददाता | भिंड

नेशनल लोक अदालत के तहत परिवार न्यायालय में तो 20 जोड़ों ने तो आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूजे का हाथ थामा। जिला मुख्यालय पर एडीआर सेंटर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अक्षय कुमार द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया।

लोक अदालत के शुभारंभ के अवसर पर विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अजय कुमार गर्ग, जिला न्यायाधीश व जिविसेप्रा सचिव सुनील दंडौतिया एवं जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण, विधिक सहायता अधिकारी देवेश शर्मा, एएसपी कमलेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

प्रकरणों का निपटारा

- जिला मुख्यालय एवं तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार में लंबित कुल न्यायालयीन प्रकरण संख्या 444 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें कुल 980 पक्षकार लाभान्वित हुए तथा राशि 58 लाख 68 हजार 377 का अवार्ड पारित किया गया।
- परिवार न्यायालय के 20 प्रकरणों का निराकरण हुआ। कुल 20 जोड़ों द्वारा आपसी मतभेदों को भुलाकर नये सिरे से जीवन प्रारंभ करने का फैसला लिया।
- जलकर, संपत्तिकर, विद्युत, बीएसएनएल, बैंक आदि के कुल 1245 का निराकरण किया गया। इनमें 1 हजार 277 व्यक्ति लाभांवित हुए। कुल 69 लाख 84 हजार 68 राशि वसूल की गई।

मेहगांव में हुआ 101 मामलों का निराकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ अपर जिला न्यायाधीश एवं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा किया गया। न्यायाधीशगण में राकेश कुमार कुशवाह, संध्या गर्ग, मुकेश कुमार कोरी, अभिभाषकगण सुरेश शर्मा, अजमेर सिंह नरवरिया, दिलीप चौधरी, रविंद्र सिंह भदौरिया, पंकज सेंथिया आदि उपस्थित थे। लोक अदालत के लिए गठित खंडपीठों में 79 न्यायिक व 22 प्रीलिटिगेशन कुल 101 प्रकरण निराकृत कर पक्षकारों को छायादार व फलदार पौधे प्रदान किए गए।

बच्ची के भविष्य के लिए हो गए एक

कुटुम्ब न्यायालय में एक ऐसे प्रकरण में सुलह हुई जिसमें ससुरालजन द्वारा महिला को घर से निकाल दिया गया था। महिला वंदना द्वारा अपने पति सोनू बाल्मीक के विरुद्ध मामला न्यायालय पेश किया गया। वंदना का कहना था ससुरालजन द्वारा बाइक की मांग की जा रही थी। जब पुत्री 8 माह की थी तब घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह अपने मायके में रह रही थी। पति भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं दे रहा था। प्रधान न्यायाधीश द्वारा 8 माह की पुत्री के भविष्य का ख्याल रखते हुए दोनों पक्षों में सुलह के प्रयास किए तो सफलता भी मिली।

भविष्य में नहीं झगड़ने के वादे के साथ लौटे

कुटुम्ब न्यायालय में फरियादी सुनीता द्वारा अपने पति विनोद के विरुद्ध भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत किया था। सुनीता के मुताबिक शादी के बाद जब वह अपनी ससुराल गई तभी से पति व ससुरालीजन 50 हजार रुपए की मांग कर रहे थे। इसी बीच दो पुत्रियों का जन्म भी हुआ। इसके बाद तो और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया था। अंततः एक दिन बच्चियों के साथ घर से निकाल दिया। तब भरण पोषण की मांग की गई। न्यायालय द्वारा महिला व उसकी बेटियों का ख्याल करते हुए दोनों में राजीनामा कराया गया। इसके बाद पति- पत्नी कभी न झगड़ने का वादा कर रवाना हुए।

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-07-09 | Page- 1
ehitavada.com

MPSLSA donates oxygen concentrators to Victoria District Hospital

■ Legal Correspondent

HELPING Hands of Indian Association of Physician of Indian Origin (AAPI) through Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) donated oxygen concentrators to Victoria District Hospital.

Taking a note of the scarcity of oxygen when the country was hit by the 2nd corona wave and anticipating the possibility of the 3rd corona wave hitting the country in the near future, MP State Legal Services Authority co-ordinated with good Samaritans Indian Association of Physician of Indian Origin (AAPI) who donated Ten Oxygen Concentrators priced at around (Contd on page 2)

Senior office-bearers of MPSLSA donating oxygen concentrators to Victoria Hospital.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहलः जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने सीएमएचओ को किए सुपुर्द

विक्टोरिया अस्पताल को भेंट किए 10 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ऑरिजन के समन्वय से कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए विक्टोरिया अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स सौंपे। सालसा मुख्यालय में गुरुवार शाम आयोजित सादे समारोह में सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने 8 लाख रुपए कीमत के ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स सीएमएचओ डॉ. रत्नेश कुररिया के सुपुर्द किए।

इस मौके पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स की मदद से विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज में आसानी होगी। अमेरिका में रहने वाले भारतीय डॉक्टरों की यह पहल सराहनीय है। यह पहल देश के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करता है। ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स से गंभीर मरीजों की जान बचाने में सहायता मिल सकेगी। कार्यक्रम में सालसा की सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह और उप सचिव अरविंद श्रीवास्तव मौजूद थे।

www.readwhere.com

Programme launched for legal aid, advice to acid attack victims

■ Legal Correspondent

IN A nationwide progarmme launched by Bhagidari Jan Sahyog Samiti and NSS Guru Gobind Singh Indraprastha University through virtual mode on 'Legal aid and advice to acid attack victims' chaired by Justice Indira Banerjee, Judge, Supreme Court of India, Member Secretary Giribala Singh, expressed her views on behalf of the MP State Legal Services Authority as a panelist.

It was observed that as 85% of the acid attack victims are women, efforts must be made for creating awareness among children about the gender equality, ill effects of acid use, resolution of conflicts through peaceful modes in coordination with the School Education and Women and Child Development Department. Further, it was reflected that two panel advocates and two PLVs should be trained by DLSA/TLSCs to assist the victims and their families before, during and after the trial so that a healthy support system can be created for victims. Several recommendations were (Contd on page 2)

Justice Indira Banerjee and Member Secretary MPSLSA Giribala Singh during the virtual programme.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

सदस्य सचिव श्री सिंह ने किया केन्द्रीय जेल का निरीक्षण

बंदियों को विधिक सहायता प्रदान करने निर्देश

जबलपुर, (एक्सप्रेस)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव धरमिंदर सिंह ने गुरूवार को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस केन्द्रीय जेल का निरीक्षण किया। केन्द्रीय जेल के वार्डों का निरीक्षण करते हुए मनोरोगी बंदियों के वार्ड में जाकर उनकी चिकित्सीय एवं अन्य समस्याओं के बारें में भी जानकारी ली गई। श्री सिंह द्वारा निरीक्षण के दौरान जेल में संचालित विधिक सहायता क्लीनिक की उपयोगिता बताते हुए क्लीनिक के माध्यम से जेल बंदियों के लिए आवश्यक विधिक सेवाएं प्रदान करने का निर्देष दिया गया। श्री सिंह द्वारा जेल में संधारित रजिस्टरों का निरीक्षण करते हुए बंदियों के लिए निर्धारित पाकशाला में बंदियों के लिए तैयार किए गए भोजन एवं साफ-सफाई आदि का परीक्षण किया गया और बैरक में निरीक्षण के दौरान बंदियों से पूछताछ करते हुए उन्हें विधिक

सहायता उपलब्ध होने, दोषसिद्ध बंदियों के अपील प्रस्तुत किए जाने संबंधी आदि जानकारियां भी ली गई। निरीक्षण के दौरान सदस्य सचिव धरमिंदर सिंह द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष ठाकुर को भी निर्देशित किया गया कि पैनल अधिवक्ताओं को नियमित रूप से बंदीगण से बातचीत कर उनके प्रकरण की जानकारी लेते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। जेल अधिकारीगण को यह भी निर्देशित किया गया है कि पैनल अधिवक्ता को जेल परिसर के चारों वार्डों में पृथक-पृथक ऐसे स्थान पर बंदियों से मिलने की व्यवस्था की जाये जहां पर बंदीगण सुविधाजनक तरीके से अपने पैनल अधिवक्ता से संपर्क स्थापित करते हुए कार्यवाही कर सकें। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह, उप-सचिव अरविन्द श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मनीष ठाकुर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे उपस्थित थे।

विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने किया जेल का निरीक्षण

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव धरमिंदर सिंह ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस केन्द्रीय जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल के वार्डों का निरीक्षण करते हुए मनोरोगी बंदियों के वार्ड में जाकर उनकी चिकित्सीय एवं अन्य समस्याओं के बारें में भी जानकारी ली। उन्होंने बैरक में निरीक्षण के दौरान बंदियों से पूछताछ करते हुए उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध होने, दोषसिद्ध बंदियों के अपील प्रस्तुत किए जाने संबंधी आदि जानकारियां भी ली। निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविन्द श्रीवास्तव, मनीष ठाकुर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे उपस्थित रहे।

केन्द्रीय कारागार में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

)। मध्यप्रदेश
ाधिकरण के
एवं सत्र
जिला विधिक
र.सी. वार्ष्णेय
सचिव जिला
ग श्री विपिन
त्व में केन्द्रीय

कारागार रीवा मे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री उपेन्द्र देशवाल ने जेल मे प्रत्येक बैरको मे जाकर बंदियो को उनके कानूनी अधिकार, जमानतो के कानून प्ली बारगेनिग एवं अन्य प्रावधानो के बारे में जानकारी दी। विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान बंदियो को जेल में मेनुअल के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की। जेल पदाधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये। इस अवसर पर जेल उपाधीक्षक रवि शंकर सिंह, एस.शिल्पकार, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी डी.के.सारस, अष्टकोण अधिकारी श्री नायक उपस्थित थे।

जिला जेल गुना में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

कूट ज्योति न्यूज, गुना। जेल
गने का स्थल न होकर अपने
का प्रायश्चित करने का स्थान है।
निरूद्ध बंदी अपने द्वारा किए गए
के संबंध में आत्मावलोकन करें।
ी हुई है, आगे उसकी पुनरावृत्ति न
का प्रयास करें। जीवन में नशामुक्ति
ल्प लेकर अपना भविष्य स्वस्थ
क्षित रखने की ओर अग्रसर हो।
ार जिला जेल में विधिक साक्षरता
में जिला न्यायाधीश राकेश कुमार
ा व्यक्त किए गए। इस मौके पर श्री
निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी
की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम

में जिला न्यायाधीश हर्षसिंह बहरावत ने बंदियों से कोविड-19 की गाईड लाइन का कड़ाई से पालन करने तथा उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं में दिए गए अंतरिम जमानत एवं पैरॉल संबंधी निर्देशों के संबंध में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने प्लीवार्गेनिंग(सौदा अभिवाक) एवं नालसा टोल फ्री नं. 15100 के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर वरिष्ठ जेल उपाधीक्षक दिलीप सिंह, जेल स्टॉफ एवं बंदी उपस्थित रहे।

न्याय पाने का सभी को अधिकारः एडीजे चौहान

जिला जेल में विधिक सहायता शिविर सम्पन्न

रतनगढ़ टाइम्स, दतिया।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के तत्वावधान में निःशुल्क विधिक सहायता शिविर का आयोजन जिला जेल दतिया में मुख्य अतिथि ऋतुराज सिंह चौहान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुश्री स्वाती चौहान व्यवहार न्यायाधीश रहीं एवं अध्यक्षता श्रीमती ममता नॉर्वे उप जेल अधीक्षक ने की। मुख्य अतिथि न्यायाधीश चौहान ने बन्दियों के अधिकारों के बारे में व्यापक जानकारी देते हुए प्ली बारगेनिंग के तहत प्रकरणों के समाधान की जानकारी दी। उन्होंने बंदियों से उनको मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति जानी साथ ही लोक अदालत में निबटान हेतु प्रकरणों को प्रस्तुत करने हेतु जेल प्रशासन को निर्देशित किया। विशिष्ट अतिथि सुश्री स्वाती चौहान ने मध्यस्थता योजना व विवादों का वैकल्पिक समाधान योजना की विस्तृत जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अंकिता शांडिल्य ने प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह की व्यापक जानकारी देते हुए अतिथियों का प्रधिकरण की ओर से स्वागत किया। अध्यक्षता कर रहीं श्रीमती ममता नॉर्वे ने जेल प्रशासन द्वारा बन्दियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं रिस्तेदारों से मिलाई, वीसी के माध्यम से कोर्ट पेशी आदि की जानकारी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए पीएलव्ही/ समाजसेवी रामजीशरण राय ने लीगल एड क्लिनिक के बारे में जानकारी दी।

शिविर के उपरांत जेल परिसर के भ्रमण करते हुए अतिथियों ने बन्दियों को कोविड टीकाकरण शिविर को देखकर बन्दियों के अनुभव जाने। इस अवसर पर डॉ. बृजेन्द्र सिंह, प्रियोत्तम भूरिया, विजेन्द्र सिंह, राघवेंद्र, साधना चौरसिया, मनोज शाही, रामसिया पाठक, अमजद खान एवं विष्णु तोमर सहित जेल स्टाफ उपस्थित रहा। उक्त जानकारी प्राधिकरण के विजेन्द्र सिंह ने दी।

जिला जेल श्योपुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

श्योपुर। प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला
धिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर प्रदीप मित्तल के मार्गदर्शन
अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा
धिकरण, पवन कुमार बांदिल एवं जिला विधिक सहायता

धिकारी सुश्री विभूति तिवारी द्वारा जिला जेल श्योपुर में
धिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में सचिव द्वारा बंदियों से व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किये। साथ ही जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं बंदियों के कानूनी अधिकार के बारे में बताया। इसी प्रकार उनके प्रकरण में पैरवी करने के लिये अधिवक्ता नियुक्त है अथवा नहीं एवं अधिवक्ता नियमित रूप से बंदियों से सम्पर्क में रहते है या नहीं, के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही सचिव द्वारा बंदियों को सकरात्मक कार्य करने के लिये भी प्रेरित करते हुये उनसे लेख, कविताये, कहानियाँ लिखने के लिये प्रोत्साहित किया एवं सभी दोषसिद्ध बंदियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर उनकी अपील संस्थित है या नहीं एवं उनके अभिभाषक नियुक्त है या नहीं, के संबंध में भी चर्चा की गई।

a virtual conference on Friday.

She presided over the online legal literacy camp. She spoke about the sexual exploitation of women and the action to be taken against such incidents according Legal Services Scheme-2015.

Pare also spoke to the inmates of Rajgarh ... through the online conference.

Most of the prisoners ... not know anything ab... the cases. She inform... them about the cases.

District legal aid offi... director of Gopal Mal...

शाला त्यागी बच्चों का सर्वे कर पुन: एडमिशन दिलाने के किए जा रहे प्रयास

विद्यार्थियों के घर–घर जाकर दी जा रही समझाईश

पंकज जैन

टकरावद/जनसारंगी न्यूज। विधिक सेवा न्यायालय प्राधिकरण के निर्देशानुसार शाला त्यागी बच्चों का सर्वे कर उनका पुन: एडमिशन दिलाने के प्रयास किये जा रहे है जिनके लिए पैरालिगल वालेंटियर्स द्वारा शाला त्यागी विद्यार्थियों के घर- घर जाकर समझाइश दी जा रही।

विधिक सेवा के मार्गदर्शन में शाला त्यागी बच्चों का प्रदेश व्यापी सर्वे किया जा रहा है शनिवार को पैरालिगल वालेंटियर्स धन कुंवर चंद्रावत द्वारा मल्हारगढ तहसील के गांव हिंगोरिया बड़ा, खात्याखेड़ी, ढाणी, ढोरी, रायसिंह पिपलिया, खूंटी, देवाखेडा, हाथी बोलिया, बरखेडा डाँगी में हायर सेकेंडरी स्कूल के शाला त्यागी बच्चों का घर घर जाकर सर्वे किया व उनको पुन: पढ़ाई जारी रखने की समझाइश दी गई इस अवसर पर हाईसेकेंडरी स्कूल हिंगोरिया बड़ा के प्राचार्य रामनिवास दाहन, अध्यापक भगतराम पवार उपस्थित थे।

जज ने लगवाया टीका तो ही लोगों ने लगवाया टीका

मालव दर्शन >> नीमच
malavdarshan.com

भ्रांति, भ्रम या शंका का समाधान या निवारण जरूरी रहता है, चोक न्यायाधीश जब महिला बोली मै टीका नहीं लगवाऊंगी, मै मर जाऊंगी बीमार हो जाऊंगी, महिला बोली टीका लगाने से लोग मर रहे है। ऐसे ही ग्राम के नारायण बोले अरे साहब मर जाएंगे इसलिए नहीं लगवाएंगे टीका। जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच में यह खबर पहुंची कि ग्राम चेन पूरा डेम मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर के वनवासी इलाके के लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे है पंचायत सेंटर पर जाने के लिए तैयार नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश हिरदेश श्रीवास्तव ने जानकारी में लेकर स्वास्थ्य विभाग बीएमओ डॉ प्रवीण पांचाल, तहसीलदार जीरण को निर्देशित कर कहा कि जागरूक करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच की और से न्यायाधीश गण श्री महेश त्रिपाठी, श्री मती सुषमा त्रिपाठी मय स्वास्थ्य अमले बीएमओ डॉ प्रवीण पांचाल, तहसीलदार मुकेश बामनिया, नायब तहसीलदार श्रद्धा तिवारी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ चेन पूरा पहुंचे और कुछ युवाओं और उम्र दराज लोगो से बात की जागरूक किया युवा राज़ी हुए वैक्सीन को तैयार हुए। मौके पर जज श्री मती सुषमा त्रिपाठी उस शक्स के वहां पहुंची जो यह कह रहा था कि वक्सिनेशन से लोग मर रहे है। जज साहब बोले चलिए मै आपके सामने टीका लगावाऊंगी फिर तो लगवा लोगे टीका, फिर क्या फिर नाराज़ लोग भी तैयार हो गए और टीका लगवा लिया।–

हरि बाल गृह में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

रीवा (नव स्वदेश)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.सी. वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में एवं श्री विपिन कुमार लवानिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला एवं बाल विकास से संबद्ध हरि बालगृह में कोरोना संबंधी शासन की गाइडलाइन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रति माह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालकों से ...

संकल्प वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

सभी वृद्धजनों को शासन की योजनाओं का मिले लाभ-मुकेश कुमार दांगी

राजधानी के पास सीहोर

शुक्रवार को शहर के सैकड़ाखेड़ी स्थित संकल्प वृद्धाश्रम में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी द्वारा यहां पर निवासरत वृद्धजनों से चर्चा की और उन्होंने वृद्धों से संबंधित कानूनों एवं शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि परिवार में आपसी समन्वय होना जरूरी है, जिससे परिवार में कोई बिखराव न हो। वृद्धावस्था से हर किसी को गुजरना है। इस उम्र में शारीरिक दक्षता में कमी भले ही हो, लेकिन अनुभव के मामले में वे किसी से कम नहीं होते है। उनकी देख भाल की जिम्मेदारी सिर्फ शासन की ही नहीं बल्कि समाज की भी है। इस दिशा में वह हर संभव प्रयास करने हेतु सदैव तत्पर है।

इस मौके पर उन्होंने संकल्प वृद्धाश्रम में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया जाकर क्लीनिक नियुक्त पीएलवी आबिद खान को आवश्यक दिशा-निर्देश आदि देकर सम्मान और स्वागत किया। वहीं जिला विधिक सहायता अधिकारी अनीस अब्बासी ने उपस्थित वृद्धजनों का नालसा (वरिष्ठ नागरिको के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में जानकारी दी।

नशा पीड़ितों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई : संकल्प नशामुक्ति केन्द्र में आयोजित ने उपस्थित नशा पीड़ितों को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए नशे की लत छोड़ने हेतु प्रेरित किया एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। शिविर में श्री दांगी द्वारा नशा पीड़ितों को नालसा-नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं-योजना 2016 की जानकारी भी दी गई। उक्त शिविरों में संकल्प वृद्धाश्रम एवं नशा मुक्ति केन्द्र के संचालक राहल सिंह और आबिद ...

नशामुक्ति हेतु शिविर के माध्यम से दिया संदेश

बुरहानपुर (निप्र)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा ग्राम निम्बोला में नशा मुक्ति हेतु ग्राम शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री आशुतोश शुक्ल द्वारा बताया कि हमें नशा से दूर रहना चाहिए। नशा के द्वारा होने वाली कई जानलेवा बीमारियों को हम अपने ऊपर हावी होने से द्वारा तम्बाकू, गुटका, सिगरेट एवं नशीले पदार्थों का सेवन है। इनसे हमारे गले एवं फेफड़े के केंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। केंसर से बचने के लिए व्यक्तियों को नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चा... साथ ही कोविड से बचाव के संबंध में सुझाव ... शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए जागरु... किया। इस अवसर पर ग्रामीणजन एवं अन्य संबं... सदस्यगण उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल लॉयर्स को दिया गया प्रशिक्षण

विनय उजाला

खण्डवा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा शुक्रवार को ए.डी.आर. सेन्टर खण्डवा में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री एल.डी. बौरासी क मार्गदर्शन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया की अध्यक्षता में व जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई की उपस्थिति एवं सहभागिता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के पैनल लॉयर्स हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया द्वारा कहा गया कि आगामी नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार व अधिक से अधिकरण प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण में पैनल लॉयर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। साथ ही श्री अतलसिया व जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मण्डलोई द्वारा उपस्थित पैनल लॉयर्स को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की योजनाऐं, आगामी नेशनल लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के संबंध में आम जन को लाभ पहुँचाने हेतु उचित प्रशिक्षण देकर उन्हें विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गयी साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि पैनल लॉयर्स समाज में असहाय व पिछड़े व्यक्ति को किस प्रकार न्याय दिलानें में अपनी भूमिका निभा सकते है के संबंध में बताते हुए विभिन्न जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिवक्ता श्री प्रणय गुप्ता, श्री रविन्द्र कुमार झंवर, श्रीमति पुष्पा गौर, श्री प्रीतेश दुबे, श्री सुनील कुमार आर्य, श्री रविन्द्र पाथरीकर, श्री संपत पाचोरे, श्री शैलेन्द्र कलमे, श्री प्रशांत मालवीय, श्री अभिषेक चौधरी, श्री राजेन्द्र कुमार कुश्वाह, श्री दीपक कुमार तिवारी, श्री विष्णु अग्रवाल, श्री मनोज कुमार तंवर, श्री गजेन्द्र बरकले, श्री जसवंत परमार, कुमारी संगीता वर्मा, श्रीमति नागमणि सोनी आदि उपस्थित थे।

प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी मदद दिलाने के लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संकलिप्त है : सुश्री गुंजन गॉड व्यवहार न्यायाधीश

रतनगढ़ टाइम्स, दतिया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया। श्री मुकेश रावत जी के मार्गदर्शन में आज दिनांक:02.07.2021, को गूगल मीट एप के माध्यम से ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

सुश्री गुंजन गॉड व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ने उक्त शिविर में जानकारी देते हुए बताया कि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39अ में निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र व्यक्ति महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, बडी आपदाओं जैसे हिंसा, बाढ, सूखे, भूंकप तथा औद्यौगिक आपदाओं के शिकार लोग, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गये लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 200000/- से कम हो, बेरोगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार।महिलाओं को उनके परिवार से होने वाली हिंसा से बचाने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया।

उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अंकिता शांडिल्य द्वारा जानकारी देते हुई बताया कि, कानून से सम्बंधित सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते है। जिसमे आपको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जायेगी। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री आंकिता शांडिल्य, श्री सुनील त्यागी (डी.एल.एस.ए.), एवं समस्त पैरालीगल वॉलिंटियर्स उपस्थित रहे।

बाल समप्रेषण गृह में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

विंध्य भारत, रीवा

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा आर.सी. वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में बाल सम्प्रेषण गृह रीवा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि बालक देश का भविष्य है और उनका वर्तमान उज्जवल होना चाहिए। उनमें स्वस्थ्य संस्कार का होना परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बालकों के अधिकार एवं नशा उन्मूलन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री ऊषा ठाके ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी दी। बाल सम्प्रेषण ग्रह के निरीक्षण के दौरान बालकों के कल्याणार्थ एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के संबंध में निर्देश दिये गये। इस अवसर पर परवीक्षा अधिकारी अजय कुमार भुजिया एवं बाल सम्प्रेषण ग्रह के किशोर उपस्थित रहे।

नशामुक्ति हेतु शिविर के माध्यम से दिया संदेश

बुरहानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा ग्राम निम्बोला में नशा मुक्ति हेतु ग्राम शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री आशुतोष शुक्ल द्वारा बताया कि हमें नशा से दूर रहना चाहिए। नशा के द्वारा होने वाली कई जानलेवा बीमारियों को हम अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते है। नशा के मुख्य कारकों में व्यक्ति के द्वारा तम्बाकू, गुटका, सिगरेट एवं नशीले पदार्थों का सेवन है। इनसे हमारे गले एवं फेफ्ड़े के केंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। केंसर से बचने के लिए व्यक्तियों को नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए साथ ही कोविड से बचाव के संबंध में सुझाव एवं शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया।

बच्चों की देख-रेख एवं संरक्षण हम सबका दायित्व -न्यायाधीश श्री शर्मा

बाल संप्रेक्षण गृह गुना में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर किया बालकों से संवाद

चंबल एक्सप्रेस, गुना। देश के लिए हर बच्चा विशेष होता है। बच्चों की देख-रेख व संरक्षण हम सबका दायित्व है। ... कोविड-19 की सुरक्षा संबंधी गाईडलाईन का पालन करते हुये बाल संप्रेक्षण गृह गुना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा आयोजित किये गये विधिक साक्षरता शिविर में ... [illegible]

मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया

मंडलेश्वर। म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में शनिवार को एडीआर भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणए मण्डलेश्वर में मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। एडीआर भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणए मण्डलेश्वर में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्षए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणए मण्डलेश्वर की अध्यक्षता में हुए मध्यस्थता जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से निराकरण करने के लिये पैरालीगल वालेंटियर एवं अधिवक्ताओं के माध्यम से सभी जानकारी मध्यस्थता की प्रदान की जाकर मध्यस्थता के माध्यम से विवादो का निराकरण जल्द से जल्द प्रदान किया जा सकता हैं। मध्यस्थता आपसी समझौते की प्रक्रिया हैं जिससे न किसी की जीत एवं न किसी की हार के माध्यम से दोनो पक्षकारों की जीत होती हैं। उक्त शिविर में अपर जिला न्यायाधीश सचिव भारतसिंह रावत संजीव कुमार गुप्ता प्रथम जिला न्यायाधीश मण्डलेश्वर विकास चन्द्र मिश्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर नरेन्द्र पटेल न्यायाधीशए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयालए अधिवक्तागण एण्वीण्वर्माए पैरालीगल वालेंटियर श्री दुर्गेश राजदीप जोजु एम आर अकिल खान देवदत्त एक्कल दीपमाला शर्मा उपस्थित रहें।

पौधे रोपित किए गए....

मण्डलेश्वर। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर नगर की आदिम जाति सेवा सहकारिता संस्था मर्यादित परिषद में परिजाति अशोक कटहल के पौधे रोपित किये है। पौधो की सुरक्षा हेतु ट्रिगार्ड भी लगाए गए। इस दौरान शाखा प्रबंधक किशोर पलासिया संस्था प्रबंधक सुनील पाटीदार सहायक विक्रेता राकेश वर्मा दीपक यादव धर्मेंद्र पाटीदार नरसिंह पटेल इत्यादि मौजूद थे।

दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित 'पौधे अपने परिजन' में पौधरोपण कर अभियान में सहभागिता निभाते न्यायाधीशगण।

भास्कर के अभियान 'पौधे अपने परिजन' में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय ने कहा

मानव सहित हर जीव की जिंदगी बचाने पेड़ महत्वपूर्ण

विशेष संवाददाता | कटनी

कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी से ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है। जो क्षति हुई उसे तो पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे सबक लेते हुए भविष्य के लिए काफी-कुछ किया जा सकता है। प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल पेड़-पौधे दिए हैं जो भरपूर ऑक्सीजन ही नहीं देते वरन पेड़ हमें फलों के रूप में जो तोहफा निःशुल्क देते हैं, वह भी इम्युनिटी बूस्टर का कार्य करते हैं। मानव ही नहीं वरन जीव-जंतुओं, पशु-पक्षियों का जीवन बचाने वृक्षों को लगाना और उनका संरक्षण जरूरी है। उक्त बातें जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय ने सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में दैनिक भास्कर के अभियान 'पौधे अपने परिजन' के तहत नीम सहित विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे रोपते हुए कहीं।

पौधा रोपकर अभियान का शुभारम्भ करते जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आर.के.सोनी, विशेष न्यायाधीश संजीव पांडेय एवं अन्य न्यायाधीशगण।

अभियान के शुभारंभ पर 25 पौधे रोपे

इस दौरान उपस्थिति सभी न्यायाधीशगणों द्वारा नीम, अमरूद, आमम, कटहल, मुनगा के 25 पौधे रोपे गए। यही नहीं रोपे गए पौधे सुरक्षित रहें, इसकी भी व्यवस्था की गई। उपस्थिति न्यायाधीशगणों ने कहा कि, पर्यावरण को स्वच्छ एवं जनजीवन को स्वस्थ बनाने तथा हरेक में पौधों की देखभाल परिवार के सदस्य की तरह करने की भावना जागृत हो, दैनिक भास्कर द्वारा शुरू किया गया अभियान 'पौधे अपने परिजन' इस दिशा में सार्थक साबित होगा।

ये रहे मौजूद भास्कर के अभियान 'पौधे अपने परिजन' के शुभारंभ अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय सहित कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी, विशेष जिला न्यायाधीश संजीव पांडेय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सिंह, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश इरशाद अहमद, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार, षष्टम अपर न्यायाधीश डीके सिंह, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोनल चौरसिया, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विजयकुमार सोनकर, नवम अपर न्यायाधीश श्रीमती पल्लवी द्विवेदी, दशम अपर न्यायाधीश रश्मि वाल्टर, सीजेएम विकास चौहान, तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सूर्यप्रकाश गौतम, चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दिनेश कुमार नोटिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती श्वेता गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अम्नीन्द्र द्विवेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 राघवेन्द्र पटेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अजय कुमार यदु, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वग-1 श्रीमती किकसिता मरकाम, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्रीकृष्ण बुखारिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्वेता मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अमरीश भारद्वाज, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुदित लटोरिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सोनल शर्मा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अंकिता जैन, षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 उपमन्यु शुक्ला, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विजया भारती यादव, अपर जिला न्यायाधीश आरएस मड़िया एवं जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा तथा जिला विधिक सेवा अधिकारी मनोष कौशिक भी उपस्थित थे।

दैनिक भास्कर के अभियान पौधे अपने परिजन में उपस्थित विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ प्रीति श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश निरंजन कुमार तथा अन्य न्यायाधीशगण।

भास्कर के अभियान पौधे अपने परिजन में विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह ने कहा

पौधों से मिलती है प्राणवायु, प्रत्येक आयोजन में पौधरोपण का लें संकल्प

पौधे जीवन देते हैं, इनकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी

भास्कर न्यूज, मंडला।

पौधों से प्राणवायु मिलती है। पौधे हमें जीवन देते हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि पौधरोपण करें और पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लें। उक्त विचार विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह ने बुधवार को नर्मदा तट नजदीक स्थित नेहरू पार्क में में दैनिक भास्कर के अभियान पौधे अपने परिजन के दौरान नीम के पौधे का रोपण करते हुए व्यक्त किए। विशेष न्यायाधीश श्री सिंह ने पौधरोपण के दौरान उपस्थित न्यायाधीशगणों से कहा कि प्रत्येक आयोजन में पौधरोपण का संकल्प लें। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, त्यौहारों आदि का कोई भी अवसर हो, पौधरोपण जरूर करें। उन्होंने कहा किए जगह की कमी है तो घर में तुलसी का पौधा लगाएं। पौधरोपण प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यरूप से करना चाहिए क्योंकि प्रकृति के संतुलन के लिए यह बेहद आवश्यक है।

नर्मदा तट नजदीक स्थित नेहरू पार्क में पौधरोपण करते विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह।

पौधे जीवन देने के साथ सही राह भी दिखाते हैं

जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि पौधे हमें जीवन देने के साथ सही राह भी दिखाते हैं। जिस तरह पौधों से हमें, छांव, फल और प्राणवायु मिलती है, उसी तरह हमें भी प्रकृति के संरक्षण का दायित्व निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधे का रोपण उसके संरक्षण के संकल्प के साथ करना चाहिए। इस समय जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं, जिससे हमें शुद्ध वायु मिल सके।

ये रहे मौजूद- दैनिक भास्कर के अभियान पौधे अपने परिजन के तहत नेहरू पार्क में न्यायाधीश गणों द्वारा नीम के 10 पौधों का रोपण किया गया। गरिमामय माहौल में किए गए पौधरोपण के दौरान विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह तथा जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ प्रीति श्रीवास्तव सहित प्रथम जिला न्यायाधीश निरंजन कुमार पांचाल, द्वितीय जिला न्यायाधीश विशाल शर्मा, पंचम जिला न्यायाधीश किशोर कुमार निनामा, प्रथम के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जंग बहादुर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुभाष सुनहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/रजिस्ट्रार जिला न्यायालय विनोद कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना गोमे, जिला विधिक सहायता अधिकारी विजय कुमार खोब्रागड़े, मनीष मिश्रा, रोहित कुमार श्रीवास्तव, अतुल देशमुख के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण व न्यायालीन कर्मचारी मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित 'पौधे अपने परिजन' में पौधारोपण कर अभियान में सहभागिता निभाते न्यायाधीश व न्यायालय स्टाफ।

भास्कर के अभियान 'पौधे अपने परिजन' में प्रधान जिला न्यायधीश श्रीमती आशा गोधा ने कहा

'पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए पौधों का रोपण आवश्यक'

भास्कर न्यूज | नरसिंहपुर

पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए पौधों का रोपण बहुत ही आवश्यक है। पौधे अपने परिजन अभियान के रूप में दैनिक भास्कर की यह पहल सराहनीय व अनुकरणीय है। न्यायालय परिसर में पौधों का रोपण हुआ है अब इनकी सुरक्षा और संवर्धन की जवाबदारी हमारी है। कोरोना काल में आक्सीजन की कमी जैसी समस्या जो सामने आई थी उसके लिए नीम सहित अन्य प्रजातियों के पौधों को रोपने और संरक्षित करने के लिए जनआंदोलन की आवश्यकता है। यह बात प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती आशा गोधा ने कही।

पौधा रोपकर अभियान का शुभारम्भ करते न्यायालय परिसर में पौधा रोपती प्रधान न्यायाधीश श्रीमती आशा गोधा।

नीम और पीपल के ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपे जाएं

प्रधान न्यायाधीश श्रीमती गोधा ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में जो क्षति हुई है, इसकी भरपाई करना मुश्किल है। वहीं इस तरह के हालात से बचाव के लिए नीम, पीपल जैसी प्रजातियों के अधिकतम पौधों का रोपण किए जाने से स्वच्छ वातावरण तैयार होगा उससे हमें व आने वाली पीढ़ी का सुरक्षा कवच मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी के दौरान नकारात्मक माहौल से ज्यादा नुकसान हुआ, हमें सकारात्मक माहौल का निर्माण करने की ओर ध्यान देना जरूरी है।

ये रहे मौजूद पौधारोपण में सहयोग करते हुए प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुदीप श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय गुप्ता, जिला न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चौधरी जोगेन्द्र सिंह, जिला न्यायाधीश सुश्री लीना दीक्षित, सुश्री पूजा गोले, सुश्री सविता वर्मा, कमलेश साहू, अमर सिंह सिसौदिया, रोहित कुमार, डीएलओ राजेश सक्सैना, सीएमओ नपा केव्ही सिंह, इंजी. रूद्रेश तिवारी, कमल तिवारी, अविनाश राव, वारिज बाजपेयी, संतोष दुबे, विवेक जोशी, राजेश दुबे, शहीद खान, आकाश राय, छोटेलाल नौरिया, पैरालीगल वालेंटियर पीयूष दीक्षित सहित अधिवक्तागण मौजूद रहे।

अन्य न्यायाधीशगणों ने रोपे पौधे।

दैनिक भास्कर Fri, 23 July 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/61993866

कोर्ट परिसर में रोपे पौधे, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

रायसेन| जिला न्यायालय परिसर में 'ज' (जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर) कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता लाने के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओंकार नाथ ने पौधा रोपा और लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने आसपास खाली पड़े स्थान पर पौधा लगाने के लिए प्रेरित भी किया। पौधारोपण का एक ही मकसद है कि न्यायालय परिसर को खूबसूरत बनाने और न्यायालय परिसर में आने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी व

पक्षकारों को शुद्ध व प्राकृतिक आक्सीजन मिल सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक वातावरण बन सके। इस दौरान एक से दो फिट ऊंचाई के पौधों लगाए गए। न्यायालय परिसर के अभिभाषक कक्ष से लेकर मेन रोड़ तक तथा पीछे बनी बाउंड्रीवॉल के पास करीब 100 पौधे लगाए गए है। पौधरोपण के उपरांत ट्रीगार्ड भी लगाए गए। ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। इस मौके पर संगीता यादव सचिव/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त न्यायाधीश, दिव्या भलावी जिला विधिक सहायता अधिकारी, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विमल कुमार जैन, डीके श्रीवास्तव अध्यक्ष न्यायलयीन कर्मचारी संघ ने पौधे लगाए।

स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है पौधा रोपण

रतलाम (कानून समाधान) ...रान कुरैशी = स्वस्थ जीवन ... लिए जरुरी है पौधा रोपण ... उद्देश्य के साथ आज ...सकीय विनोबा हायर ...केंडरी स्कूल हाट रोड रतलाम ... माननीय श्रीमान अरुण ...वास्तव सचिव विधिक सेवा ...धिकरण जिला रतलाम एवं ...ननीय अपर जिला एवं सत्र ...यायाधीश श्रीमान योगेंद्र कुमार ...ागी ,शिवम चौबे विधिक ...हायता, एवम श्रीमान ऋषि ...मार त्रिपाठी प्राचार्य शासकीय

नवीन विनोबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,श्री दुर्गा शंकर खिंची समाजसेवी एवम स्कूल स्टाफ आदि की उपस्थिति में वृक्षा रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम के उपरांत प्राचार्य श्री त्रिपाठी द्वारा विधिक सहायता सचिव श्री अरुण श्रीवास्तव को स्कूल की अनेको समस्याओ से अवगत कराया जिसमे अवैध अतिक्रमण एवम अवैधानिक लोगो की गतिविधि और स्कूल की बाउंड्रीवाल पर प्रकाश डाला। श्री अरुण श्रीवास्तव द्वारा आश्वासन दिया गया की शासन के जिम्मेदारों के समक्ष इस बात को रखा जाएगा और जल्द निराकरण किया करवाया जाएगा।

...जले में अब तक 218 ...मिलीमीटर वर्षा

रतलाम । जिले में अब तक ...18 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की

न्यायालय में रक्तदान शिविर में 65 यूनिट रक्त संग्रह

चैतन्य लोक • बदनावर
chaitanyalok.page

जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति व अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश रश्मिना चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया।

अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। शिविर में बार व बेंच के सदस्यों, पुलिस, राजस्व विभाग, जेल स्टाफ व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। शिविर में 65 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। इस अवसर पर एडीजे रश्मिना चतुर्वेदी

व विशाल अखंड, जज रितुश्री गुप्ता, शिवानी सैनी, एसडीएम वीरेंद्र कटारे, तहसीलदार अजमेरसिंह गौड़, टीआई सीबी सिंह, विधिक सेवा समिति सदस्य जयेश राजपुरोहित, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजनसिंह देवड़ा, सचिव दिनेश भदोरिया ,बीएमओ डॉ. संदीप श्रीवास्तव, समाजसेवी मनोज सोमानी, सुजीत धोड़पकर, एडीपीओ भानु प्रतापसिंह पंवार भी मौजूद थे। शिविर में जिला भोज चिकित्सालय धार से अत्याधुनिक ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वेन आई थी। जिसके साथ डॉ. अनिल वर्मा जिला रक्त कोष प्रभारी, रक्त कोष समन्वयक डॉ मंजू गुजराती, लैब टेक्नीशियन आदित्य पंवार, लेबर टेंडर पवन वर्मा एवं पैथोलॉजिस्ट वीपी शर्मा ने सेवाएं दी। इस अवसर पर डॉ अनिल वर्मा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में लगभग 400 यूनिट रक्त की प्रतिमाह आवश्यकता रहती है। जिसे थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों, गर्भवती, प्रसुताओ एवं दुर्घटना में गंभीर घायलों को चढ़ाया जाता है। रक्तदान से प्रतिमाह 150 जिंदगियां बचाई जाती है। उन्होंने सभी 65 रक्तदाताओं को अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अनुकरणीय कार्य हेतु तहसील विधिक सेवा समिति को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह दिया गया।

डॉ. अ. वदूद
नपुंसकता, शीघ्रपतन, धातुरोग, शुक्राणु की कमी, इन्फेक्शन, जलन, दर्द, फोड़ा फुंसी, खुजली, चर्म रोग, पेट रोग, बवासीर आदि का सफल इलाज के लिए मिलें :
सुखी एवं वैवाहिक जीवन के लिए निराश गुप्त रोगी अवश्य मिलें
गुप्तरोग विशेषज्ञ एक्स सीनियर रेजीमेडिकल ऑफिसर दिल्ली
हॉली फेमेली क्लीनिक, बड़वाली चौकी, इंदौर

कार्यालय-रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन्दौर विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर
पंजीयन क्रमांक 648 दिनांक 03.12.1996
पता- 62, गुमास्ता नगर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर
क्रमांक/नि.अ./क्यू/ 01/ इन्दौर दिनांक 24.07.2021

1959 परिवारों तक पहुंचाई जाएगी राशन किट, गरीबों को मिलेगी राहत

जिला व सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर से रवाना किया राशन किट वितरण वाहन

भास्कर संवाददाता | बड़वानी

बालिका शिक्षा के लिए काम कर रही निजी संस्था कोरोना महामारी के समय जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन के वितरण का कार्य कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने 1959 राशन किट के वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश सोनी सहित संस्था के पदाधिकारी मौजूद थे।

संस्था के जिला प्रबंधक रोहित चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक 7 ब्लॉकों के 165 गांवों में 6793 किट का वितरण किया जा चुका है। अब तीसरे चरण मे बड़वानी जिले के 6 ब्लॉकों के 69 गांवों मे 1959 जरुरतमंद परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए चिन्हित किया है। इस वैश्विक्क महामारी के दौर में जिले के सुदूर अंचलों में रहने वाले जरूरतमंद समुदाय जो की समाज की मुख्यधारा से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, ऐसे परिवारों तक राशन किट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। संस्था ने राशन किट वितरण को लेकर पहले 22000 ग्रामीणों से संपर्क किया और उनके द्वारा राशन की मदद मांगी गई थी। अब इन परिवारों को को चिन्हित कर राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इन परिवारों में कोरोना के समय ग्रामीण क्षेत्र में अनाथ हुए बच्चों के परिवारों को भी जोड़ा है। संस्था द्वारा राशन सामग्री पैकेट में गेहूं का आटा, तेल, नमक, खाद्य तेल, तुवर दाल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कपड़े धोने व नहाने का साबुन, सेनीटाइजर, सेनीटरी पेड जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं दी जा रही हैं।

फटाफट खबरें

न्यायालय में रक्तदान शिविर में 65 यूनिट रक्त संग्रह

6pm प्रतिनिधि,बदनावर। जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति व अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश रश्मिना चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। शिविर में बार व बेंच के सदस्यों, पुलिस, राजस्व विभाग, जेल स्टाफ व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। शिविर में 65 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। इस अवसर पर एडीजे रश्मिना चतुर्वेदी व विशाल अखंड, जज रितुश्री गुप्ता, शिवानी सैनी, एसडीएम वीरेंद्र कटारे, तहसीलदार अजमेरसिंह गौड़, टीआई सीबी सिंह, विधिक सेवा समिति सदस्य जयेश राजपुरोहित, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजनसिंह देवड़ा, सचिव दिनेश भदोरिया ,बीएमओ डॉ संदीप श्रीवास्तव, समाजसेवी मनोज सोमानी, सुजीत धोड़पकर, एडीपीओ भानु प्रतापसिंह पंवार भी मौजूद थे। शिविर में जिला भोज चिकित्सालय धार से अत्याधुनिक ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वेन आई थी जिसके साथ डॉ अनिल वर्मा जिला रक्त कोष प्रभारी, रक्त कोष समन्वयक डॉ मंजू गुजराती, लैब टेक्नीशियन आदित्य पंवार, लेब अटेंडर पवन वर्मा एवं पैथोलॉजिस्ट वीपी शर्मा ने सेवाएं दी। 'डॉ अनिल वर्मा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में लगभग 400 यूनिट रक्त की प्रतिमाह जरूरत रहती है।

अधिवक्ताओं ने किया रक्तदान, दूसरों को भी किया प्रेरित

मुलताई। शिविर में अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने किया रक्तदान।

भास्कर संवाददाता | मुलताई

अपर सत्र न्यायालय परिसर में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जावेद खान और तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष सुशील जोशी के मार्गदर्शन में शिविर में अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। न्यायाधीश रंजीता सोलंकी, दीपेंद्र मालु, कमला गौतम, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष गिरधर यादव और ब्लड बैंक अधिकारी डॉ. अंकिता सीते की उपस्थिति में रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष गिरधर यादव ने कहा न्यायालय परिसर में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। रक्तदान कर किसी व्यक्ति को नया जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों ने रक्तदान करना चाहिए। दोपहर 2 बजे तक चले शिविर में 17 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। रक्तदान शिविर में अधिवक्ता पंकज यादव, दीपक सारस्वत, संजय राठौर, अधिवक्ता हरीश शिवहरे, लोकेश यादव, अशोक पाटेकर, पारस यादव सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

शिविर: 60 यूनिट रक्तदान हुआ

जोबट | तहसील न्यायालय परिसर जोबट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 60 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इसमें 7 महिला 53 व पुरुषों ने अपना रक्तदान किया। न्यायालय कर्मचारी विधिक सेवा समिति के सदस्य, तहसील बार एसोसिएशन सदस्य, पुलिस विभाग के सदस्य एवं आम जनता ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

मुंगावली न्यायालय परिसर में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन

चंचल एक्सप्रेस, मुंगावली। शुक्रवार के दिन नगर के न्यायालय परिसर में तहसील विदिक सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, युक्त शिविर मे न्यायधीश राकेश सिंह, आकाश शर्मा सहित शान मियां अध्यक्ष अभिभाषक संघ, नीरज गोश्वमी, सचिव अभिभाषक संघ, सहीत अन्य अधिवक्ताआओ सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित र... शिविर का आयोजन ... सिंह द्वारा दीप प्रज्वलि... कर किया गया, कुल 1... रक्तदाताओं द्वारा रक्तद... किया गया जिनके नाम इ... प्रकार हैं, राकेश सिं... माजिद मोहम्मद, रिते... मोदी, अभय सराप... श्रीमति मोनिका, विन... सोनी, देवेंद्र सिंह राजपू... निरंजन अहिरवार, देवेंद्र कुमार शेषा, राजकुमार खरे, देवे... अहिरवार, नितिन करोशिया, रूपेश कुमार आदि लोगों ने रक्तद... किया इस अबसर पर राकेश सिंह द्वारा कहा गया की रक्तद... जरूर करें, किसी का जीवन बचाने से अच्छा कुछ भी नहीं। इ... दौरान अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सहित सभी अभिभाषकग... मौजूद रहे।

Editorial Team

Dharminder Singh Rathod
Member Secretary

Arvind Shrivastava
Deputy Secretary

Shashank Singh Chauhan
Stenographer

Abhay Soni
Asstt. Grade- III

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

574, South Civil Lines, Jabalpur~ 482001 (M.P.)

Website : mpslsa.gov.in email : mplsajab@nic.in, Toll Free No. 15100